अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

नवीन सामाजिक शोध

वर्ष - 10 अंक - 4 (कुल अंक 111) जून 2018

R.N.I. M.P.HIN/2009/29572 ISSN-0975-4431

संपादकीय कार्यालय: 25, रूप नगर कॉलोनी, जे.के. रोड

भोपाल-462 023 (म.प्र.) दूरभाष : 09300279796, 09425704990

E-mail : naveensamajikshodh@yahoo.com
website : www.naveensamajikshodh.com

संस्थापक प्रधान संपादक
स्व. डॉ. जी. सी. सक्सेना

प्रधान संपादक
राजेन्द्र सक्सेना

प्रबंध सक्सेना
अभिजीत सक्सेना

संपादक
श्रीमति सविता सक्सेना

उप संपादक
डॉ. संजय अग्रवाल (चिकित्सक)
डॉ. संतोष धुर्वे (समाजशास्त्री)
डॉ. विजय दुबे (वाणिज्य) ग्वा.

शोध अधिकारी
डॉ अनुपमा सुरेश

शोध अधिकारी
डॉ यू.पी.शुक्ला

ग्राफिक्स
राज यादव

विदेशों में क्षेत्रीय कार्यालय : (विदेशी विषय विशेषज्ञ संपादक)

1. डॉ. राम भारद्वाज चिकित्सक
पो. बॉ. नं. 161, पोस्टल कोड नं. 119, सहम सुल्तानेट ऑफ ओमान

2. प्रो. डॉ. सुधाकर कोटा अर्थशास्त्री
प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एण्ड मार्केटिंग, स्काईलाईन युनिवर्सिटी, शारजाह, यूएई

3. कविता शुक्ला असिस्टेंट प्रोफेसर,
111, शेख रशीद बिल्डिंग, शेख जायेद रोड़, यूएई, दुबई

4. डॉ. प्रिंस डेविड दंत चिकित्सक
11, अेलब्रेस्ट एवेन्यू, मांउट रास्किल, ऑकलेण्ड 1041, न्यूजीलेण्ड

5. श्री सजग चतुर्वेदी
स्टेनफोर्ड, यूनिवर्सिटी, थाईलैण्ड

6. श्रीमति ऋति चतुर्वेदी, कनाडा

7. श्रीमति प्रतिभा, कनाडा

8. डॉ. उमेश रस्तोगी, लंदन

सहयोग राशि : देश में : साधारण अंक 50 /- वार्षिक : 500 /-
आजीवन सदस्यता : 5000 /-
विदेशों में : साधारण अंक : 9 डॉलर, वार्षिक : 90 डॉलर
सारे भुगतान (मनीआर्डर/चेक/ड्राफ्ट) नवीन सामाजिक शोध के नाम से लिये जायेंगे।
चेक से भुगतान करने पर रू. 30/- अतिरिक्त भेजें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक : राजेन्द्र सक्सेना द्वारा राजा प्रिंटिंग प्रेस ,प्लाट नं.2 लाला लाजपत राय कालोनी,बागदिल कुशाद्वारा भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित एवं 25, रूप नगर कॉलोनीजे.के. रोड़, भोपाल-462 023 (म.प्र.)। से प्रकाशित। संपादक - श्रीमति सविता सक्सेना।

सभी लेखों में लेखकों के अपने मौलिक विचार है। संपादक अथवा संपादक मंडल का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हमारा संपादक मंडल पूर्णत अवैतनिक एवं अव्यावसायिक है। विवाद की स्थिति में सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

नवीन सामाजिक शोध

इस अंक में .....

1. ''मध्यप्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक.....डॉ. एल.पी. झारिया –6
2. A Study of Marketing Strategies.....Dr. Pravin Choudhary –11
3. भारतीय पत्रकारिता की घटती..... अनवर खान, मंसूरी –26
4. भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड.....सुनीता मौर्य –32
5. भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थिति.....सुनीता मौर्य –41
6. जेल में सुविधाओं.....अमृतासिंह बुंदेला –49
7. भारत में राष्ट्रीय .....राममणि द्विवेदी –56
8. ''दण्डित एवं विचाराधीन महिला.....अमृतासिंह बुंदेला –62
9. 'भारत में नया सेवा .....डॉ.मोनिका राजवेद –69
9. A Study on Occupational Stress.....

सलाहकार मंडल

- प्रो. डॉ. आई.एस. चौहान पूर्व कुलपति, बरकतउल्लाह एवं
  मौज विश्वविद्यालय भोपाल-म.प्र. । फोन: 0755-2424777
- प्रो. डॉ. विनोद पी. सक्सेना , पूर्व कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय
  ग्वालियर म.प्र. । फोन 0755-2628055
- प्रो. डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव
  पूर्व कुलपति डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर-म.प्र.
- प्रो. डॉ. राजपाल सिंह सदस्य सलाहकार यूजीसी (उच्च शिक्षा)
  भारत सरकार मो. 9425028689
- ,डॉ.आर.एम श्रीवास्तव पूर्व प्राचार्य, मोतीलाल विज्ञान महा विद्यालय
  भोपाल मध्यप्रदेश मानव मो.9826286410

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

International Refereed Research Journal UGC JOURNAL No. - 44299 ISSN-0975-4431

संपादक मंडल

- प्रो. संजय एस. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, पी.जी. शा.विदिशा कालेज
- प्रो. अलका दीक्षित, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान शा. सरोजनी नायडू कालेज
- प्रो. अरविंद चौहान, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल
- प्रो. राजीव वर्मा, प्राचार्य शा.महाविद्यालय लालपुर जिला सिहोर
- प्रो. आर. शंकर, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली-तमिलनाडु (620024)
- प्रो. परवेज अहमद अब्बासी, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, वी.एन.एस.जी. विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।
- प्रो. डॉ. कामिनी जैन, प्राचार्य शास. [illegible] महाविद्यालय, विदिशा।
- प्रो. आभा चौहान, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग जम्मू एण्ड कश्मीर .।
- डॉ. वंदना बक्शी, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग एक्सीलेंस कालेज, कोलार रोड भोपाल।
- डॉ. दिनेश पवार, अनुवांशिकी विभाग, ब.वि. भोपाल।
- डॉ. आरती श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग [illegible] कॉलेज [illegible]।
- डॉ. जितेन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कामर्स एंड मैनेजमेंट बी.बी.डी.एस.डी. (पीजी) कालेज [illegible]।
- डॉ. अनुपमा शुक्ला, सह. प्राध्यापक, सेज कॉलेज, भोपाल।
- डॉ. [illegible], विक्रम युनिवर्सिटी, उज्जैन।
- डॉ. विपिन व्यास, व्याख्याता, लिम्नोलॉजी ब.वि. भोपाल।
- श्री [illegible], व्याख्याता, हिन्दी विभाग, अमुवि. अलीगढ़-उ.प्र.।
- डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, पूर्व प्राचार्य (समाजशास्त्र) कालीचरण पी.जी. कालेज, लखनऊ।
- इंजि. रोहन गुप्ता, एम-3/5 बी.डी.ए. कालोनी, लालघाटी, भोपाल।
- रेनु चाइधरानी सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय

संपादकीय नीति बदलने का वक्त

भारत सरकार को कश्मीर के साथ–साथ अपनी पाकिस्तान नीति में भी व्यापक बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। कश्मीर में ईद के दिन भी बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कने और साथ ही पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि भारत सरकार को कश्मीर के साथ–साथ अपनी पाकिस्तान नीति में भी व्यापक बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। मौजूदा माहौल में यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम का पालन करने को तैयार होगा। वह भारत को धोखा देने के लिए संघर्ष विराम के प्रति गंभीर होने का दिखावा भर कर रहा है और इसीलिए सीमा पर शांति बनाए रखने का यह समझौता अशांति का पर्याय बन गया है। पाकिस्तान जिस तरह कश्मीर में नियंत्रण रेखा और साथ ही जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने लगा है, उसे देखते हुए समझदारी इसी में है कि उसके कुत्सित इरादों के प्रति न केवल और अधिक सतर्कता बरती जाए, बल्कि उसे दंडित करने के नए तौर–तरीकों पर भी विचार किया जाए। इसका संज्ञान अवश्य लिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कुछ ज्यादा ही कर रहा है। यह ठीक नहीं कि कश्मीर और साथ ही पाकिस्तान के मामले में घूम–फिरकर उन्हीं नीतियों का इस्तेमाल किया जाए, जिनसे अतीत में कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान से निपटने के मामले में लीक से हटकर सोचने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि मौजूदा उपाय नाकाफी प्रतीत हो रहे हैं। शायद इसका एक कारण यह भी है कि भारत पाकिस्तान की हरकतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली स्थिति में अधिक रहता है। हमारे नीति–नियंताओं को यह समझ आ ही जाना चाहिए कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं?

जिस तरह सीमा पर हालात ठीक नहीं, उसी तरह कश्मीर में भी स्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकतीं। रमजान के दौरान आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के स्थगन के रूप में एक और पहल नाकाम ही साबित होती दिखी। क्या इसमें कोई संदेह है कि केंद्र सरकार की सदाशयता का जवाब हिंसा से दिया गया? रमजान के दौरान न केवल कश्मीर में हिंसा के दुष्चक्र के चलते कई जानें गईं, बल्कि सीमा पर संघर्ष विराम के छल–कपट भरे उल्लंघन से भी। गत दिवस भी एक जवान को शहादत का सामना करना पड़ा। आखिर शहादत का यह सिलसिला कब तक कायम रहेगा? चूंकि यह सिलसिला थम नहीं रहा इसलिए आम लोगों और खासकर शहीद सैनिकों के परिजनों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है।

बीते दिनों ईद मनाने घर आ रहे राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब की बर्बर हत्या पर उसके पिता की प्रतिक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। सैनिक बेटे को खोने के बाद भी इस पूर्व फौजी पिता ने सेना के प्रति अपनी निष्ठा को जिन शब्दों में बयान किया, वह एक मिसाल है। शहीद सैनिक बेटे के पिता के बयान से उन कश्मीरियों की आंखें खुलनी चाहिए जो कश्मीर की तबाही का कारण बने पाकिस्तान को ही अपना हितैषी समझ बैठे हैं। पता नहीं ऐसा कब होगा? सरकार केवल इस वक्त का इंतजार करते हुए नहीं रह सकती। इसका कोई मतलब नहीं कि वह आतंक समर्थक पाकिस्तानपरस्त तत्वों का दिल जीतने की निरर्थक कोशिश करती रहे।

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''मध्यप्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के कल्याण के लिए राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति''

डॉ. एल.पी. झारिया
प्राध्यापक एवं निर्देशक
(राजनीति विज्ञान)
म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
भोपाल शोधार्थी :–

कु. तबस्सुम
राजनीति विज्ञान
बरकतउल्ला
विश्वविद्यालय
भोपाल

भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों की वजह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति आज इक्कीसवीं सदी में भी कोई खास नहीं बदली है । आज भी नेतृत्व और विकास के मामले में उनका प्रतिशत पुरूषों की तुलना में भी काफी कम है । लगातार घटता लिंगानुपात महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में बढ़ोतरी और उनके शोषण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है सरकार के लिए यह चिंता का विषय है । सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार कई योजनाएं ला रही हैं केन्द्र और राज्य सरकारों का प्रयास है कि उनकी योजनाओं की पहुँच ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक हो, इसी को ध्यान में रखकर महिलाओं की संख्या के आधार पर भी योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम किया जा रहा है इसी दिशा में मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बनाई गई योजना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है साथ ही इस योजना के सहारे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किए जा रहे हैं, अगर वे आत्मनिर्भर होगी और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होगी, तो अपने आप ही बराबरी के अधिकार की मांग करेगी ।(1)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत आने वाली सभी महिलाएं शामिल है इस योजना में मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है । महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता विकसित हो इसके लिए पंचायती राज संस्था की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के तौर पर नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया है ताकि वे अपने अनुभव से अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर सके ।(2)

योजना में सूचना ही शक्ति को आधार मानते हुए, मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को उन सभी बातों की जानकारी दी जाएगी जिसकी उनको आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जरूरत है । मसलन सरकारी प्रणाली कैसे काम करती है, ताकि वह सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों तक अपनी पहुंच बना सके । बैंकिग प्रणाली से पहचान करवाई जाती है ताकि वह यह जान सके कि अपने कमाए हुए पैसों को वह कैसे सुरक्षित रख सकती है और कैसे लेने–देन किया जाता है इसके अलावा

तकनीक से भी मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है । योजना का दूसरा बड़ा उद्देश्य है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए और उन्हें अपनी घर की कैद चारदीवारी से बाहर निकाली जाए । उनके जीवन–स्तर को ऊँचा उठाया जाए और इन कदमों की सहायता से उन्हें जागरूक और सशक्त बनाया जा सके । सरकार इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को सहारा देना चाहती है इसके लिए योजना से जुड़े संगठन और कर्मचारियों को इन महिलाओं को पहले अपनी पहुंच सुनिश्चित करनी होगी । पहुंच बनाने के बाद महिलाओं को जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएगी योजना में जुड़ने वाले संगठनों के लिए कुछ शर्ते तय की गई है जिनमें गाँवों में महिलाओं तक पहुँच बनाने के लिए संसाधन और कार्मिक होना तथा साथ ही सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध होना आवश्यक किया गया है ताकि योजना से लाभ देने वाली महिलाओं को ज्यादा सुविधाएं मिल सकें । प्रशिक्षण देने के साथ ही महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता पोषण, परिवार नियोजन, रोग नियंत्रण, उचित मूल्य की दुकान, पेयजल, विघुत आपूर्ति, स्वच्छता, मकान, स्व–रोजगार, मजदूरी, कौशल प्रशिक्षण अवसर अलावा इन प्रशिक्षणों में उन्हें निम्न संगठनों और कानूनों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके ।(3)

मध्यप्रदेश शासन एवं भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को विकसित एवं सुदृढ़ करने के साथ–साथ उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए सामाजिक परिवर्तन का वातावरण तैयार करना है । मध्यप्रदेश की महिलाओं की शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति में परिवर्तन लाना हैं, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना है ।

अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संच. ालित की जा रही है जिनका उद्देश्य मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु विकसित एवं संरक्षण के लिए है, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ।
- तकनीकी शिक्षा ।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना ।
- मुख्यमंत्री निकाह योजना ।
- बेटी बचाओ अभियान ।(4)

प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम–

1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता
2. विद्यालयीय शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना
3. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन
4. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
5. अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति
6. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अधोसंरचना को उन्नत करना
7. गरीबों के लिये स्व–रोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना
8. तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन
9. आर्थिक क्रियाकलापों के लिये अभिवृद्धित ऋण सहायता
10. राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती
11. ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी
12. अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार
13. साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम
14. साम्प्रदायिक अपराधों के लिये अभियोजन
15. साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास(5)

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु–
- अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की शिक्षा के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद (माका) नेशनल फेलोशिप योजना ।
- गाँव की बेटी योजना ।
- प्रतिभा किरण योजना ।(6)
- व्यापार एवं व्यवसाय हेतु ऋण प्रदाय योजनाएँ–
- मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना ।
- स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना ।
- शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना ।
- केश शिल्पी कल्याण योजना ।
- शासकीय सिलाई केन्द्र ।

- वर्ष 14 से 35 तक की किशोरी बालिकाओं तथ युवतियों के स्वावलंबन के लिये प्रशिक्षण ।
- स्टेप योजना ।(7)

- छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति के क्षेत्र में विभिन्न स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन– अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना निम्नानुसार है –
- प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।

- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ।

- मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना ।

- राज्य स्तरीय सेवाओं के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र ।

- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति लक्ष्य वर्ष 2016–2017–

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से बड़ी संख्या में छात्रों को भी लाभ मिला है । अल्पसंख्यक वर्ग के होनहार छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिला पा रहा था, जिसमें उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा हो रही थी । आयोग के प्रयासों से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र–छात्राओं में शैक्षणिक विकास में प्रगति हुई हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में निवास कर रहे अल्पसंख्यक परिवारों को वर्तमान में चल रही योजनाओं की जानकारी व लाभ भी मिल सके । अल्पसंख्यक समुदायों के द्वारा निरन्तर की जा रही माँग व आवश्यकता के दृष्टिगत मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी संकलित कर अल्पसंख्यक वर्ग के हितार्थ विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों छात्र–छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए आसान ऋण योजनाओं आदि का समावेश किया गया है । आयोग का प्रयास है कि योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार हो सके ताकि अल्पसंख्यक वर्ग भी इनका पूर्ण लाभ उठा सके और वे सामा. जिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से मजबूत हो सके । छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रचार–प्रसार से प्रद. श का अल्पसंख्यक वर्ग निश्चित रूप से लाभांवित हुआ हैं ।(9)

संदर्भः–

1. डॉ. अमरनाथ, ''नारी का मुक्ति–संघर्ष'', रेमाधव पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद, 2007, पृ. 154
2. खुशवन्त सिंह, ''सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं'', भूषण साहित्य केन्द्र, दिल्ली, 2012, पृ. 175
3. डॉ. मनोज कुमार सिंह, ''भारतीय महिलाएँ अधिकार एवं चुनौतियाँ'', अंकित पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2010 पृ. 98
4. ''भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का संकलन'', अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ. 109
5. ''प्रदेश में अल्पसंख्यक विकास की ओर बढ़ते कदम'', मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मध्यप्रदेश, 2014, पृ. 5
6. ''मंजिले'', मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, 2012, पृ. 27
7. ''मध्यप्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक प्रगति की और'', मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल, 2012.
8. ''आगाज'', मध्यप्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, 2010, पृ. 4
9. ''बढ़ते कदम'', मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भोपाल, 2013, पृ. 47

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

A Study of Marketing Strategies of Multinationals FMCG giants in rural Madhya Pradesh

Dr. Pravin Choudhary
Assistant Professor
VNS Faculty of Management, Bhopal

Prof. Apoorva Bhatnagar
Assistant Professor
VNS Faculty of Management, Bhopal

Introduction:

Indian FMCG market is the growing market and rural market is growing at the rate of 12% which is the tremendous growth in the economy. FMCG market has strong presence of Indian companies and foreign MNCs. The market is being developed and controlled by these giants. By the way of merger MNCS are becoming strong day by day. Many small Indian companies are being sold outs to this MNCs. Hindustan Unilevers and P& G are not only market leaders in India but they are present across the globe. The dominances is due to the marketing strategies, product development, propaganda marketing, Advertisement and sales promotion .The price war also helps in increasing the market size of FMCG. The price war between Pepsi and Coco-Cola has helped the beverage industry to spread the product across Pan India. Today the products of MNCs are easily available in India as well as in the rural markets. The MNCs has adapted and well adjusted in the Indian Environment. The marketing mix helps in increasing their market share and provides quality products to the customers. Today these MNCs are household names in Indian market. MNCs touches the life of Indian Rural customer.

Literature Review

Gerbing and others- In his opinion that the strategic process adopts the assumption of decisional rationality. The systematic process is followed in establishing a logical and sequential pattern of decision.

Fredrickson- He considers strategies are comprehensive policy which helps in positive relations between companies and customers.

Priena- In his opinion significant association between strategies and over all per formance of organization has been seen in MNCs.

Capon and others suggested if the Firms wants to outperform in the Market. Strategies are key for the profitability of organization.

Hills and Jones has given their opinion on multi business companies, the companies has three level of management the corporate level- the business level- the functional level. He analyzed that marketing strategies should be in workable form for the operational purpose.

Miller- has also found that high performing firms where distinguished from low performing firms on basis of the environment analysis and strategy formation.

Baker - Marketing strategies is process that allows the organization to concentrate on its own resources.

Poter- Strategy is based on its scope and its strength.

Chamberlin- He argues that buyers in the market has the real freedom to differentiate and distinguish among the competitive brands.

Alderson- Differentiation in the product characteristics gives the seller control for the identification of products.

Smith- Product differentiation provides advantages in the competitive market.

Levitt- He proposed that product can be analyzed at five distinct level.

Kotler and Rath- He suggested that good design differentiate product in the market.

Parker- Package is the key component of Marketing.

Shapiro argued that pricing is important area of marketing. Pricing is for generating revenues for MNCs.

Erickson and Johansson- Pricing is good indicator of quality but brand image is the real indicator of quality.

Gabor and Granger- Prices are the indicator of quality for the commodities like textiles products not for fmcg Market products.

Rao and Monroe-Pricing may play positive or negative role in the purchase decision making process of FMCG products.

Roger strang- Sales Promotion are short term incentives to encourage purchase of sales of FMCG goods.

Huff and Alden- Sales Promotion is the integral part of the marketing mix, dis-

counts, coupons, rebates are prices oriented promotion which helps in increases sales of products.

Aradhna Krishna- opine that sales promotion have become integral tools for the marketers.

Schultz- He argued that dependence on promotion can erode price value equation for consumers.

Reichheld and Sasser- have originated that customer retention is the method to increase the sales volume of the companies .The retention rate increases the profit for MNCs.

Stern ElAnsary and Coughlan - have concluded that the distribution intensity has been commonly defined as the number of intermediaries used by a manufacturer with in the trade area.

Research Gap - Previous research are being done on rural markets. Many factors are being analyzed but the total geographical areas of Madhya Pradesh are not covered in the research papers. Hence there is a research gap; this paper tries to analyze the role of marketing strategies in the rural Madhya Pradesh market. The sample is drawn from total rural Population of Madhya Pradesh.

Objective

1. To study the impact of strategies on the customer satisfaction level of Retailers.
2. To study the impact of Marketing Strategies on sales of FMCG goods in Rural Markets.
3. To study impact of the Marketing Mix of Multinational in Madhya Pradesh Market.

Research Methodology

Data Collection - The primary data is being collected from rural Madhya Pradesh areas

Tool used- Structured Questionnaire was designed for data collection. Five questions for each attributes were included in the questionnaire.

Sample Unit -3000 Retailers from Madhya Pradesh Rural Area
Analysis of data - For the analysis of data we use Non Parametric Test Chi- Square. Mean and Standard deviation is being used for finding out important attributes.
The survey is limited to the rural areas of Madhya Pradesh.

Hypothesis to be tested

H01- There is no impact of marketing strategies on satisfaction level of rural retailer of Madhya Pradesh.

H02- There is no impact of product strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

H03- There is no impact of pricing strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

H04- There is no impact of Place and Distribution strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

H05- There is no impact of Promotional strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

Analysis of Data - For the analysis of data we use Non Parametric Test Chi-Square. Mean and Standard deviation is being used for finding out important attributes.
The survey is limited to the rural areas of Madhya Pradesh.

H01- There is no impact of marketing strategies on satisfaction level of rural retailer of Madhya Pradesh.

The chi-square statistic is 1087.9535. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05.

H02- There is no impact of product strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

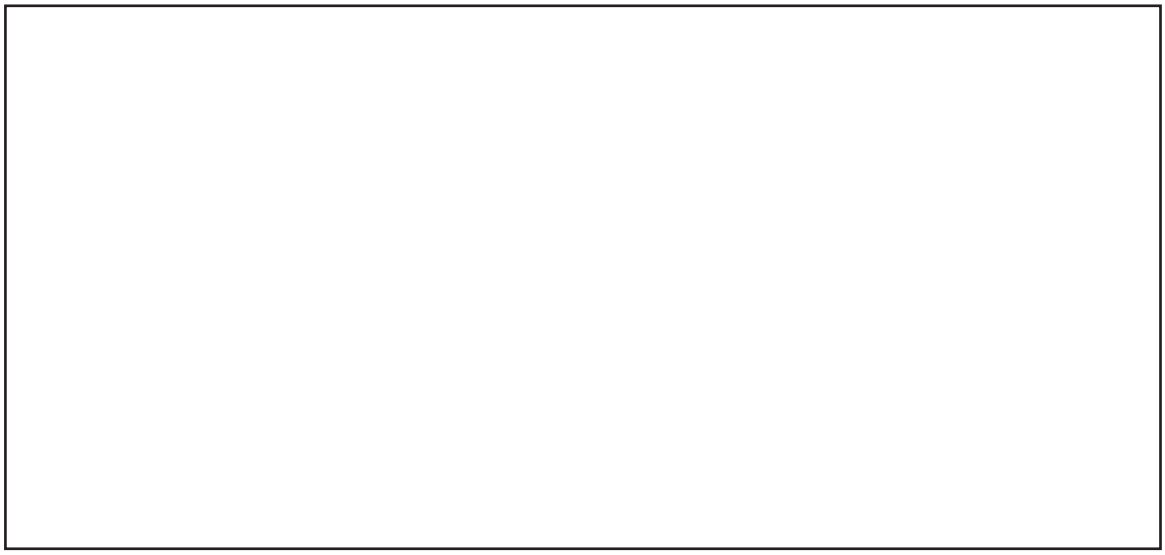

The chi-square statistic is 847.1387. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05.

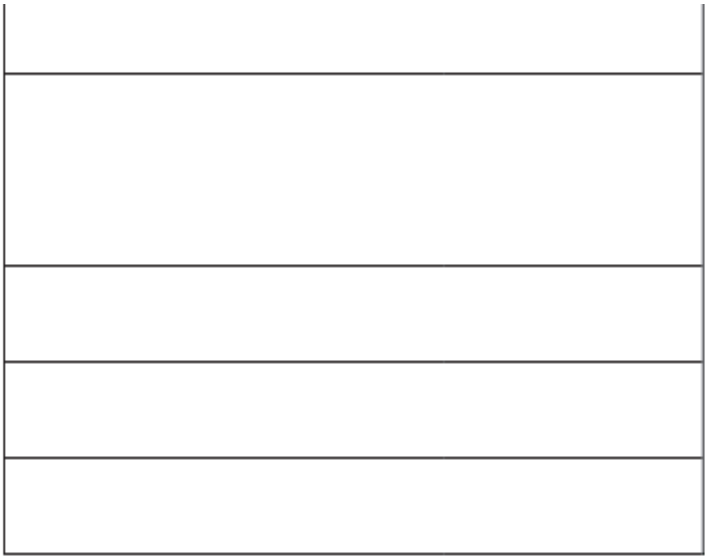

H03- There is no impact of pricing strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya
Pradesh.

The chi-square statistic is 281.2723. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05.

H04- There is no impact of Place and Distribution strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

The chi-square statistic is 511.4915. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05.

H05- There is no impact of Promotional strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

The chi-square statistic is 374.5785. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05.

Discussion & Interpretation:

1.Marketing Strategies.

Hypothesis to be tested:
Ho - There is no impact of marketing strategies on satisfaction level of rural retailer of Madhya Pradesh..

Test Used Chi Square Test:

In this marketing Strategies and retailer satisfaction level are Categorical to test the relationship we used non parametric test Chi Square. The chi-square statistic is 1087.9535. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05. Hence there is strong evidence to reject the null hypothesis.

Interpretation:

Hence we reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis which is there is a significant impact of marketing Strategies on Retailer satisfaction level. The most important criteria in marketing Strategies are Sales Promotion.

Product Strategies.
Hypothesis to be tested:
Ho - There is no impact of product strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

Test Used Chi Square Test:
In this Product factor and Sales of Goods are Categorical to test the relationship we used non parametric test Chi Square. The chi-square statistic is 847.13. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05. Hence there is strong evidence to reject the null hypothesis.

Interpretation:
Hence we reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis which is there is a significant impact of Product Attributes on Sales of goods MNCs FMCG products.
The most important criteria in product attributes are Wide Range of products followed by Quality.

Price Strategies.

Hypothesis to be tested:

Ho - There is no significant impact of Pricing Strategies on Sales of FMCG goods in rural markets.

Test Used Chi Square Test:

In this pricing Strategies and sales of goods are Categorical to test the relationship we used non parametric test Chi Square. The chi-square statistic is 281.2723. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05. Hence there is strong evidence to reject the null hypothesis.

Interpretation:

Hence we reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis which is there is a significant impact of pricing strategies on sales of MNCs.

The most important criteria in pricing strategies are Price War. The second important factor is discount schemes.

Place Strategies.

Hypothesis to be tested:

Ho - There is no impact of Place strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

Test Used Chi Square Test:

In this location and place Strategies and sales of goods are Categorical to test the relationship we used non parametric test Chi Square. The chi-square statistic is 511.495. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05. Hence there is strong evidence to reject the null hypothesis.

Interpretation:

Hence we reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis which is there is a significant impact of Location and place strategies on sales of MNCs.

The most important criteria in location and place Strategies are own distribution vehicle. The second important factor is Distribution plans.

Promotional Strategies.

Hypothesis to be tested:

Ho - There is no impact of Promotional strategies on sales of goods in the rural areas of Madhya Pradesh.

Test Used Chi Square Test:

In this Promotional Strategies and sales of goods are Categorical to test the relationship we used non parametric test Chi Square. The chi-square statistic is 511.495. The p-value is < 0.00001. The result is significant at p < .05. Hence there is strong evidence to reject the null hypothesis.

Interpretation:

Hence we reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis which is there is a significant impact of Promotional strategies on sales of MNCs.

The most important criteria in Promotional Strategies are promotional schemes. The second important factor is Rural Haats and Melas organized by the MNCs.

Conclusion

From the Chi Square Test for all the attributes we can conclude that we can reject the null hypothesis for all the factors and hence there is strong evidence to accept the alternative hypothesis.

From the above discussion we can conclude that marketing mix Strategies is most important factor for sales of goods manufactured and marketed by MNCs. The rural Retailer has given due weight age to Promotional Schemes the mean value is highest (853.66) and the standard deviations (711.31). In the product Strategies the most important factor is wide range with a Mean of 807.43 and a standard Deviation 538.36 the rural retailers are quality conscious the mean for quality attributes is 807.46 but the standard deviation is620.29.

Pricing Strategies- the rural markets are price sensitive, price war is one of important strategies of MNCs the mean for the factor is 821.33 and a standard deviation of 593.17and discount schemes is second most important factor with the mean value of793.18and a standard deviation of548.28.

Place In place Strategies the most important factor is own distribution vehicle which provides edge to big giants in distributing the goods in deep interior with a mean value of 839.20and a standard deviation of 666.16.

In promotion strategies the promotional strategies is having the highest mean of847.73but the standard deviation of advertisement low at 1.32 Mean 3.57

From the above factors we conclude that marketing mix variables is having a positive impact on purchase of FMCG goods in rural markets

Scope of Further Researcher:

The research is on the topic a study of Marketing Strategies of MNCs FMCG giants in rural Madhya Pradesh. The area of research is MP. The research can be extended to Pan India, Research can be done on company wise strategies of various companies like ITC, Dabur, HUL, Nestle, Cadbury all the companies are expanding their reach to rural areas to improve profitability. Project Choupal, Shakti, Sampark are the name of rural distribution programme launched by various companies research can come out with suitable model which will help major Indian and multi national FMCG companies to to plan tailor made strategies for expansion and growth .

Limitation:

1. The population of Madhya Pradesh is taken from the census of Madhya Pradesh figure is 6.93 Crores.
2. The studies rely on the data provided by the Retailer of Madhya Pradesh Rural area.

Reference

1Gerbing, D.W., Hamilton, J.G. and Freeman, E.B. (1994) "A large scale second order

2. Fredrickson, J.W. (1984) "The comprehensiveness of strategic decision process-

es: extensions, observations and future directions". Academy of Management Journal 27, pp.399-423.
3Priem, R.L., Rasheed, A.M.A. and Kotulic, A.G. (1995) "Rationality in strategic decision processes, environmental dynamism and firm performance" Journal of Management 21(5), pp.913- 29
4Capon, N., Farley, J.U. and Hulbert, J.M. (1994) "Strategic planning and financial Performance : more evidence". Journal of Management Studies 31,105-10.
5Hill.C.W.L. and Jones, G.R. (2006) "^Strategic Management: An Integrated Approach.'" Allied Publishers.
6Miller, D. (1987) "Strategy making and structure: analysis and implications for performance". Academy of Management Journal 30, pp.7- 32.
7. Baker, Michael (2008), "The Strategic Marketing Plan Audif, Cambridge Strategy Publications.
8. Porter's "generic strategies: an exploratory study "Publication: Journal of Business Strategies,2007
9. Chamberlin.E.H.(1957) "Towards a More General Theory of Value." Oxford University Press.
10.Alderson, W. (1965) Dynamic Marketing Behavior. Homewfood, IL. Richard D. Irwin
11. Levitt, T. (1980) 'Marketing success through differentiation - of anything'. Harvard Business Review, January-February: pp.83-91.
12. Kotler Phillip, "Marketing Management : Analysis, Plaiming, Implementation and Control," 9*ed., Prentice Hall of India, 1997
13. Parker, R. (1997) "Counting down the top 10 US packaging trends". Packaging India,
14. Shapiro, Benson P (1973), "Price Reliance: Existence and Sources," Journal of Marketing Research, 10(3), pp.286-87.
15. Erickson, Gary M and Johansson, Johny K (1985). "The Role of Price in MultiAttribute Product Evaluations," Journal of Consumer Research, 12(3), 195-99.
16. Gabor, A and Granger, C W J (1966). "Price as an Indicator of Quality: Report on an Inquiry," Economica, 33(1), pp.43-70.
17. Rao, Akshay R and Monroe, Kent B (1988). "The Moderating Effect of Prior

Knowledge on Cue Utilization in Product Evaluations," Journal of Consumer Research, 15(3), pp.253-64.
18. Huff, L.C. and D.L. Alden (1998), "An investigation of consumer response to sales promotions indeveloping markets: A three-country analysis,"Journal of Advertising Research,38, pp47- 57.
19. Aradhna Krishna, Imran S. Curriuun and RobertW. Shoemaker, "Consumer Perceptions of Promotional Activity," Journal of Marketing, Vol.55 (April 1991), pp.4-16.
20. Schultz, Don. E, (2004), "A Clean Brand Slate", Marketing Management; September/ October, Vol. 13, Issue 5, pp. 10-11.
21. Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990), "Zero defections: quality comes to services".
22. Stem, L.W., El-Ansary, A.I. and Coughlan, A.T. (1996), Marketing Channels, London: Prentice-Hall.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के बारे में श्रमजीवी पत्रकारों के विचारों का अध्ययन (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)

अनवर खान, मंसूरी
शोधार्थी,
पीएचडी, जनसंचार विभाग, माखनलाल
चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार
विश्वविद्यालय, भोपाल, म.प्र.

सारांश :–पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मीडिया एवं मीडियकर्मियों की विश्वसनीयता पर सवाल खूब उठ रहे हैं, यानी इनकी विश्वसनीयता घटती ही जा रही है। पहले के मुकाबले जनता का भरोसा इनपर से उठता सा जा रहा है। इसके कारण जैसे कि बाजारवाद और राजनीति का पत्रकारिता में हावि होना इत्यादि हैं।

प्रस्तावना :

मीडिया की इस बेशुमार शक्ति और प्रभाव का प्रयोग व संचालन मानव, समाज और देश हित में करने की अहम जिम्मेदारी उन श्रमजीवी पत्रकारों के कंधों पर है जिनके अंदर समर्पण, त्याग, आत्मसंयम और सहनशीलता का जज्बा है। जो अपनी बुद्धि, ज्ञान और अपने विचारों से देश और समाज हित में कुछ करने का हौंसला रखते हैं। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था संचालन और उसे नई दिशा एवं दशा देने में मीडिया की भूमिका महत्तवपूर्ण होती है। ग्लोबलाईजेशन के इस दौर में सूचना और तकनीकी क्रांति के बाद दूसरे पायदान पर मीडिया की भूमिका और उसके प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई है। मीडिया संस्थान में काम करने वाले हर पत्रकारों की गिनती एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में होती हैं। इनकी कलम बिना किसी स्वार्थ और भेदभाव किए जनता के कल्याण और देश हित में चलती है। जनता को मीडिया से बहुत सारी उम्मीदें है। जनता एवं समाज की दबी हुई आवाज और मुद्दों को उठाने का काम मीडिया और उसके प्रहरी श्रमजीवी पत्रकारों के कंधों पर है, ऐसे में ये दोनों ही जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरते हैं तो फिर चौथे स्तंभ का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में ही भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के कारणों पता लगाने की कोशिश इस शोध माध्यम से की गई है।

शोध के उद्देश्य :

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न मीडिया संस्थानों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स) में कार्यरत् श्रमजीवी पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।
2. पत्रकारों से अपनी नौकरी के बारे में संतुष्टि का पता लगाना।
3. पत्रकारों की धारणाओं के बारे में जानकारी हासिल करना।
4. श्रमजीवी पत्रकारों की वास्तविक समस्याओं का पता करना।

शोध की प्रासंगिकता :

पत्रकारों को सिर्फ सालभर के लिए नियोजित किया जाता है, और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। बदले में न कोई मुआवजा राशि और न ही किसी प्रकार का भत्ता दिया जाता है। कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को भी सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। काम के घंटे निर्धारित होने के बाद भी श्रमजीवी पत्रकारों से अनिश्चित घंटे काम काराया जाता हैं। क्षमता से अधिक कार्य करने से अधिकतर श्रमजीवी पत्रकार समय से पहले बूढें हो रहे हैं, वहीं मानसिक तनाव और विविध शारीरिक परेशानियों के वह शिकार हो रहे हैं। उनका व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन निराशाजनक होता है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सरकार को पत्रकारों के लिए कई हितकर एवं कल्याणकारी योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलेगी। वहीं पत्रकार वर्ग खुद पत्रकारिता के साथ–साथ अपने सामाजिक जीवन को खुशहाल बना सके, अपने भविष्य एवं हितों की रक्षा, सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने की ओर कई ठोस कदम उठाने के लिए वह सरकार से मांग भी कर सकते हैं।

शोध प्ररचना एवं प्रविधि :

अनुसंधान में आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रश्नावली प्रविधि का प्रयोग किया गया। सैंपल का चयन उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया गया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विभिन्न मीडिया संस्थानों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों में से सैम्पल के रूप में 500 का चयन किया। सर्वे के लिए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को शामिल किया गया। ईकाई के रूप में एडिटर, संवाददाता, सब एडिटर और फोटोजर्नलिस्ट को लिया गया। इसमें मध्यप्रदेश के 10 संभागों में से 4 संभाग भोपाल,इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर शामिल हैं। 51 जिलों में से 6 जिले देवास, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद और हरदा को शामिल किया गया था।

विवेचना एवं विश्लेषण :

सैंपल के रूप में मध्यप्रदेश के चयनित श्रमजीवी पत्रकारों से विविध पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए आठ पेज की प्रश्नावली के जरिए 65 प्रश्न पूछे गए। इसके माध्यम से मीडिया संस्थानों में कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों ने अपने अलग–अलग विचार जाने गए। और डाटा एकत्रित कर एक्ससेल सॉटवेयर के द्वारा कम्प्यूटर में डालकर चेक किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए एसपीएसएस (स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशियल साइंस) का इस्तेमाल किया गया। जो नीचे इस प्रकार है

◆ 1 वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के बारे में महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं के विचारों के बीच तुलना :–

इसके तहत पांच विविध कारणों के बारे में उत्तरदाताओं के विचारों का अध्ययन किया गया। प्रत्येक कारणों के उत्तर फोर प्वाइंट स्केल पर लिया गया है। जैसे कि 1. बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं 2. कम जिम्मेदार 3. थोड़ा बहुत जिम्मेदार 4. बहुत अधिक जिम्मेदार। सभी कारणों के अंतर को पुरूष और महिला के बीच टी–परीक्षण से परखने की कोशिश की गई। परिणामों को तालिका 1 में दर्शाय गया है। नीचे निम्नानुसार कारणों पृथक–पृथक सविस्तार से दिए गए है।

1.1 उद्योगपतियों के हाथों में मीडिया संस्थानों का होनाः–तालिका 1 के अनुसार महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विचारों के अंतर में फर्क नहीं है। (टी–मान=.752,महत्वपूर्ण नहीं)। महिला का औसत मान 3.79 और पुरूष का औसत मान 3.73 है। जो फोर प्वाइंट स्केल में 3.79=4 एवं 3. 73=4 है। इसका अभिप्राय यह है कि महिला उत्तरदाताओं के विचार वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए उद्योगपतियों के हाथों में मीडिया संस्थानों के होने के बारे में बहुत अधिक जिम्मेदार है, वहीं पुरूष उत्तरदाताओं के विचार भी वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए उद्योगिपतियों के हाथों में मीडिया संस्थानों के होने के बारे में बहुत अधिक जिम्मेदार है।

1.2 राजनीति का पत्रकारिता में हावि होना :–पुरूष का औसतमान 3.62 एवं महिला का औसतमान 3.71 तालिका 1 में दर्शाया गया है। तालिका टी–परीक्षण, महत्वपूर्ण नहीं। (टी–मान 2. 186)। यानी महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विचारों के अंतर में कोई फर्क नहीं है। फोर प्वाइंट स्केल 3.62=4 एवं 3.71=4 है। इससे स्पष्ट है पुरूष उत्तरदाताओं के विचार वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए राजनीति का पत्रकारिता में हावि होना बहुत अधिक जिम्मेदार है। वहीं, महिला उत्तरदाताओं के विचारों में भी भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए राजनीति का पत्रकारिता में हावि होने के बारे में बहुत अधिक जिम्मेदार है।

1.3 दबंगों का पत्रकारिता में प्रवेश होना :–तालिका 1 में दिया गया टी–परीक्षण का मान महत्वपूर्ण नहीं है। (टी–मान .475)। दोनों समूह महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विचारों में अंतर नहीं है। महिला का औसत मान 3.65 एवं पुरूष का औसतमान 3.60 है। (फोर प्वाइंट स्केल पर 3. 65=4 3.60=4)। जो यह दर्शाता है कि महिला उत्तरदाताओं के विचार वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए दबंगों का पत्रकारिता में प्रवेश बहुत अधिक जिम्मेदार है, वहीं पुरूष उत्तरदाताओं के विचारों में भी वर्तमान पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए दबंगों का पत्रकारिता में प्रवेश होने के बारे में बहुत अधिक जिम्मेदार है।

1.4 बाजारवाद का पत्रकारिता में हावि होना :– इसके अंतर्गत तालिका 1 में टी–परीक्षण का मान = .087, महत्वपूर्ण नहीं है। जो यह दर्शाता है कि महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विच. ारों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। मसलन, पुरूष का औसतमान 3.64 और महिला का औसतमान 3.63 में अंतर नहीं है। (फोर प्वाइंट स्केल 3.64=4 एवं 3.63=4)। इसका तात्पर्य यह है कि पुरूष उत्तरदाताओं के विचार भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए बाजारवाद हावि होने के बारे में बहुत अधिक जिम्मेदार है। वहीं, महिला उत्तरदाताओं के विचार में भी बाजारवाद का हावि होना वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है।

1.5 नौकरशाही, प्रभावशाली लोग एवं राजनेताओं का मीडिया के साथ गठबंधनः–तालिका 1 में दर्शाए अनुसार महिला का औसत मान 3.71 और पुरूष का औसत मान 3.66 है। (फोर प्वाइंट स्केल 3.71=4 एवं 3.66=4)। तालिका में टी–परीक्षण मान .626, महत्वपूर्ण नहीं है। जो यह बताता है कि दोनों समूह के विचारों के अंतर में फर्क नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि महिला उत्तरदाताओं के विचार वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए नौकरशाही, प्रभावशाली लोग एवं राजनेताओं का मीडिया के साथ गठबंधन बहुत अधिक जिम्मेदार है, वहीं पुरूष उत्तरदाताओं के विचार भी भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए नौकरशाही, प्रभावशाली लोग एवं राजनेताओं का मीडिया के साथ गठबंधन बहुत अधिक जिम्मेदार है।

तालिका–1 वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के बारे में महिला एवं पुरूष उत्तरदाताओं के विचार :

NS=महत्वपूर्ण नहीं.

निष्कर्षः–

- अधिकतर उत्तरदाताओं का मानना है कि उद्योगपतियों के हाथों में मीडिया संस्थानों के होने से भारतीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता घट रही है।
- ज्यादातर उत्तरदाताओं का मानना है कि राजनीति का पत्रकारिता में हावि होना भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वनीयता के लिए जिम्मेदार है।
- अधिकांश उत्तरदाता मानते है कि दबंगों का पत्रकारिता में प्रवेश होना वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार है।
- अधिकतर उत्तरदाताओं ने माना कि बाजारवाद हावि होना वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता

की घटती विश्वनीयता के लिए जिम्मेदार है।

- ज्यादातर उत्तरदाताओं का मानना है कि नौकरशाही, प्रभावशाली लोग एवं राजनेताओं का मीडिया के साथ गठबंधन वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की घटती विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार है।

संदर्भ सूचीः–

जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन पत्रिका, (जेएमसीक्यू डॉट सेजपब्लिकेशन डॉट काम), अंक, वर्ष 2015.

- https//Jmcq.sagepub.com/ 6 june, 2013.
- https//AmericanJournalistSurvey.com/ 17jan, 2014.
- https// ShodhGanga.com/date/15 jun, 2015.
- https// WageIndiacator.org/ 17jun, 2015.
- https //WageIndicator Data report series 004/ date/ dec.2013.
- https// delhi:sage/date12jun,2015.
- https// internation journal of marketing financial management research/ issn 2277-3622/ vol2/date/ nov 9, sept 2013.
- schram, Wilbur, "Father of communication studie's".

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड के कोष प्रवाह वितरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुनीता मौर्य
शोधार्थी हमीदिया कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय

प्रस्तावनाः–

बीमा क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधि का केंद्र है और देश के आर्थिक स्वास्थ्य का इस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस क्षेत्र के स्वस्थ होने का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था का भी स्वस्थ होना है। यदि यह क्षेत्र बीमार है, तो समझ जाना चाहिए की देश की अर्थव्यवस्था भी खतरे के कगार पर हैं, क्योंकि जोखिम कवर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में उचित रूप से उपलब्ध नहीं होगा। भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन तक बीमा उद्योग अर्थव्यवस्था के कुछ ही क्षेत्रों तक केंद्रित था, और बीमा का प्रवेश अन्य क्षेत्रों में बहुत कम था। बीमा क्षेत्र के विनियमन के बाद, इस क्षेत्र ने वितरण, उत्पादों और नए क्षेत्रों में बीमा प्रवेश में नवाचार के साथ में विकास के कई कार्यक्रम शुरू किए। आईआरडीए ने कई गतिविधियों के माध्यम से मात्रा, उत्पादों की विविधता और भौगोलिक व्याप्ति के मामले में बीमा गतिविधियों में कई गुना वृद्धि की है, और नए बीमा कंपनियों के प्रवेश के कारण प्रतिस्पर्धा ने बड़ी विविधता में सेवा के विविधीकरण में वृद्धि की है।बीमा कंपनियों ने एकाधिकार पर्यावरण के माहौल में उत्ष्टता के परिचय की ओर एक सकारात्मक जोखिम कवरेज के परिपूर्ण प्रतिस्पर्धी माहौल से बदलाव किया हैं। इस संदर्भ में, उदारीकरण के बाद बीमा कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन अनिवार्य है।

शोध के उद्देश्यः–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के कोष प्रवाह विवरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन
2. .भारतीय जीवन बिमा निगम के वित्तीय मूलयांकन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर आवश्यक सुझाव देना।
3. अध्ययन की परिसीमायें

1. इस शोध विषय के अध्ययन में एक निश्चित समंको एवं सूचनाओं का ही प्रयोग किया गया है।

2. सांख्यकि अनुसंधान केसमय अनुसांधान रीतिकी तरह परिणाम तो नही निकाले जा सकते है लेकिन अनुसंधान का विश्लेषण रीति को आधार मानकर आंकणो की शुद्धता के करीब पहुचने का प्रयास अनिवार्य रूप से किया है।

फंड लो की अवधारणा :–

''लो ऑफ फंड'' शब्द का अर्थ व्यापार के लेनदेन के सामान्य व्यवहार में निधियों या कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को संदर्भित करता है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूंजी की प्राप्ति या खर्च दोना. के रूप में हो सकता है। दूसरे शब्दों में, लेनदेन होने पर कार्यशील पूंजी में कोई वृद्धि या कमी को ''निधियों का प्रवाह'' कहा जाता है। यदि कामकाजी पूंजी के घटकों के परिणामस्वरूप फंड की वृद्धि हुई है, तो इसे फंड के इन लो (प्राप्ति) या फंड के स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसी तरह, यदि वित्तीय स्थिति में कमी के कामकाजी पूंजी प्रभाव के घटक इसे फंड ऑफ आउट लो (खर्च के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि शेयर जारी करने के माध्यम से फंड बढ़ता है तो उसे फंड के स्रोत या फंड के प्रवाह के रूप में लिया जाएगा। इस लेनदेन के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति में वृद्धि हुई है। इस तरह, मशीनरी की खरीद के लिए उपयोग किए जाने वाले फंड को आउट लो ऑफ फंड या फंड के खर्चे या निधि के उपयोग के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि यह फंड को कम करता है।

6.5 फण्ड लो स्टेटमेंट के उद्देश्य :–

फंड प्रवाह विवरण के मुख्य उद्देश्य निम्लिखित हैं :

(1)कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक : –

एक फंड प्रवाह विवरण निम्नलिखित प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने के लिए तैयार किया जाता है: –

i. अवधि के दौरान धन का मुख्य स्रोत और उपयोग क्या रहा है?
ii. व्यापार के संचालन से कितना धन उत्पन्न हुआ हैं?
iii. मुनाफा कहां गया?
iv. लाभांश बड़ा क्यों नहीं है?
v. उस अवधि के लिए वर्तमान कमाई से अधिक या शुद्ध हानि की स्थिति में लाभांश वितरित करना कैसे संभव था?
vi. उस अवधि के समय शुद्ध हानि होने के बावजूद शुद्ध वर्तमान संपत्ति क्यों बढ़ रही है?
vii. संयंत्र और उपकरणों में विस्तार के लिए वित्त पोषित कैसे किया गया था?

viii. दीर्घकालिक ऋण की चुकौती कैसे हुई?

ix. कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए वित्त पोषण कैसे हुआ ?

तालिका क्रमांक – 1.1

2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी का कुल मुद्रास्फीति

वर्ष कुल मुद्रा स्फीति (करोड़ रू.) सूचकांक

आरेख क्रमांक – 1.2

2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी का कुल मुद्रास्फीति

स्त्रोत : चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई।

तालिका क्रमांक – 1.3

2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी का कुल बहिर्वाह

स्त्रोतः चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई

एलआईसी का कुल प्रवाह 2005–06 में 3739450.3 करोड़ रुपये। 18173931 करोड़, अध्ययन अवधि के दौरान 486.0054 गुना सूचकांक में वृद्धि दर्ज करना। एलआईसी के बहिर्वाह ने अध्ययन अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्ज की। यहां नकारात्मक संकेत प्रवाह के संदर्भ में बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है। एलआईसी का औसत प्रवाह रुपये के रूप में काम किया गया है। .ढ़ अवधि के दौरान 11538707 करोड़। सीवी के विश्लेषण से पता चला कि एलआईसी के बहिर्वाह ने अध्ययन अवधि के दौरान अत्यधिक उतार–चढ़ाव प.म –48.91 को चिह्नित किया।

आरेख क्रमांक –1.4

2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का कुल बहिर्वाह

स्त्रोतः चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई

तालिका क्रमांक –1.5

2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी की परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी

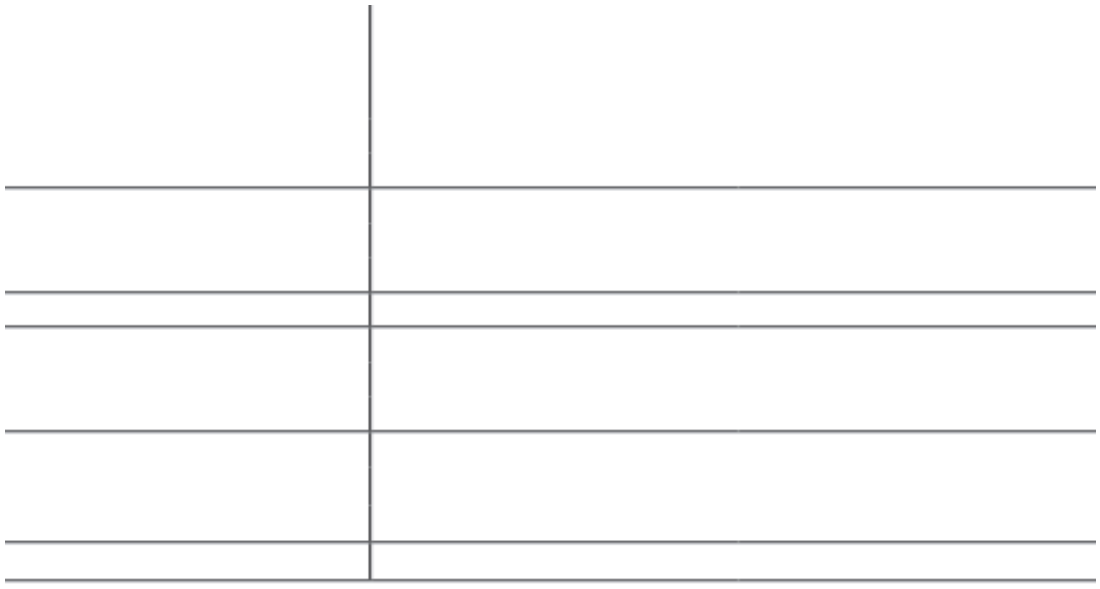

स्त्रोत : चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई
एलआईसी की ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद रुपये से बढ़ा दी गई है। 2005–06 में 2820877.09 करोड़ रुपये से रु. 49901111.91 करोड़, अध्ययन अवधि के दौरान 176.90 गुना सूचक. ांक में वृद्धि दर्ज करना। एलआईसी की ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद अध्ययन अवधि के दौरान एक मिश्रित प्रवृत्ति पंजी.त है। एलआईसी की ऑपरेटिंग गतिविधियों से उत्पन्न औसत नेट नकद रुपये के रूप में काम किया गया है। .ढ़ अवधि के दौरान 4808399.6 करोड़। सीवी के विश्लेषण से पता चला कि एलआईसी के बहिर्वाह ने अध्ययन अवधि के दौरान 35.83 में अत्यधिक उतार चढ़ाव को चिह्नित किया।

आरेख क्रमांक –1.6
2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी की परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद

स्त्रोतः चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई

आरेख क्रमांक –1.7
2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए जीवन बीमा कंपनी की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी

स्त्रोतः चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई

एलआईसी की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद रुपये से बढ़ा दी गई है। 2005–06 में 3200581.2 करोड़ रुपये 6660024 करोड़ रुपये, अध्ययन अवधि के दौरान 208.088 गुना सूचक. ांक में वृद्धि दर्ज की गई। एलआईसी की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद अध्ययन अवधि के दौरान एक मिश्रित प्रवृत्ति पंजी.त है। एलआईसी की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न औसत नेट नकद रुपये के रूप में काम किया गया है। अस्थिर अवधि के दौरान 4700928 करोड़। सीवी के विश्लेषण से पता चला कि एलआईसी की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नेट नकद अध्ययन अवधि के दौरान अत्यधिक उतार–चढ़ाव यानी 59.27 को चिह्नित करती है। यहां नकारात्मक संकेत निवे. शित धन बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है।

आरेख कमांक – 1.8
2005–2006 से 2014–2015 तक अवधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी

स्रोतः चयनित कंपनी में वार्षिक रिपोर्ट और खातों से गणना की गई

सुझावः–

1. प्रीमियम की आय बढ़ाने के लिए एलआईसी ने व्यक्तिगत लाइन बीमा उत्पाद का विकास करना चाहिए। इसके लिए कंपनी को देश के दूरदराज के इलाके में जाने के और गैर–जीवन बीमा उत्पादों के लिए ग्रामीण जनता को जागरूक बनाने के काम करना चाहिए ।
2. एलआईसी ने आक्रामक विपणन रणनीति का उपयोग करना चाहिए।
3. एलआईसी द्वारा ग्राहक अनुकूल योजनायें जो लोगों को आकर्षित कर सके लागू करना चाहिए।
4. व्यापार में सुधार करने के लिए एलआईसी को विदेशी बाजार में कारोबार का अधिक विस्तार करना चाहिए।
5. प्रीमियम आय बढ़ाने के लिए एलआईसी एजेंटों को बाजार परि.श्य में तेजी से बदलाव के साथ जुड़ी हुई समस्याओं को संभालने के लिए उचित प्रशिक्षण देना चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

BarNiv,R.AndR.A.Hershbarger.,1990,ClassifyingFinancialDistressintheLife

InsuranceIndustry,JournalofRisk and Insurance, 57:110-136.

- BarNiv,R.,1990,AccountingProcedures,MarketData,Cash-FlowFiguresan

InsolvencyClassification:TheCaseoftheInsuranceIndustry,AccountingReview , 65:578-604

- BarNiv, R., andJ.B. McDonald., 1992, IdentifyingFinancial Distress intheInsurance

Industry:ASynthesisofMethodologicalandEmpiricalIssues,JournalofRiskand Insurance,59:543-574.

- BarNiv,R.,andM.LSmith.,1987,Underwriting,InvestmentandSolvency,Journal of InsuranceRegulation,5: 409-428.

"Barresse,J.,1990,AssessingtheFinancialConditionofInsurers,CPCUJournal,43: 37-46.

- BeenstockM.,G.Dickinson,andS.Khajuria.,1986,"TheDeterminationofLife Premiums:AnInternationalCross-SectionAnalysis1970-1981".Insurance, Mathematics,and Economics 5:261-70.

- Ben-vid,D.,1993,"EqualizingExchange:TradeLiberalizationandEconomic Convergence",The QuarterlyJournalofEconomics 108(3): 653-679.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थिति विवरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुनीता मौर्य
शोधार्थी,
वाणिज्य विभाग हमीदिया कला एवं
वाणिज्य
महाविद्यालय

सारांशः– जीवन बीमा असल में, बीमित और बीमाकर्ता के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें बीमा धारक बीमाकर्ता को नियमित बीमा शुल्क देने का वचन और बदले में बीमाकर्ता, बीमित व्यक्ति की जिन परिस्थितियों के लिये उसने बीमा कराया है जैसे एक्सीडेंट या मृत्यु आदि के बाद आर्थिक सुरक्षा देने कि जिम्मेदारी लेती है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उन परिस्थितियों में उसके परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। इस तरह, बीमा करवाने से न केवल आपक. ो वरन् किसी आपदा में आपके परिवार को भी सुरक्षा मिलती है इसलिये बीमा कराना जरूरी है।प्रस्तुत शोध कार्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थिति विवरणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है इसके लिये हमने स्थिति विवरण पत्रकों का अध्ययन करने का लक्ष्य रखा है जिससे भारतीय जीवन बिमा निगम का व्यापक वित्तिय अध्ययन कर निष्कर्ष प्रदान किया जा सके इस शोधकार्य में हमने 2005–06 से 2014–15 तक के 10 वर्षो के स्थिति विवरण पत्रकों का विश्लेषण किया है।

Key Word: –बीमा कर्ता, धारक, स्थिति विवरण, आर्थिक सुरक्षा।

प्रस्तावनाः–भारत में उदारीकरण पश्चात् एफ.डी.आई. एल.पी.जी आदि के द्वारा इस व्यवसाय को सन् 1999 से विदेशी कम्पनियों के लिए भी खोल दिया गया है। यह सब आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक बदलाव के दौर में संभव हो पाया है। भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए 1999 में इरडा का गठन किया गया। भारतीय आर्थिक परिदृश्य में, सामान्य बीमा उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सामान्य बीमा उद्योग किसी भी आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। यह विश्व के सबसे बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है।इस उद्योग ने निंरतर प्रगति करते हुए इसमें लगातार पूंजी की आमद बनाये रखी हुई है, जो ऐसे और शक्तिशाली बनता जा रहा है, इस विश्लेषण के लिए सामान्य बीमा उद्योग की इन्ही बातों को लेकर अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन का उद्देश्यः–

1. भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थिति विवरणों का अध्ययन करना।
2. भारतीय जीवन बीमा निगम के वित्तीय मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर आवश्यक सुझाव देना।

अध्ययन की परिसीमायेंः–

किसी भी शोध कार्य कों पूर्ण करने हेतु यह आवश्यक हे कि उसकी परिसीमाओं का निर्धारण कर लिया जाये, अतः हमने भी इस अध्ययन हेतु निम्नलिखित सीमाओं का निर्धारण किया है।

1. यह अध्ययन मुख्य रूप से चयनित बीमा कम्पनी पर आधारित है।
2. पर्याप्त शोधसाहित्य एवंसमंको का अभाव है।
3. यह वित्तीय विवरणों का विश्लेषण मुख्यतः द्वितीयक संमको पर आधारित है।

स्थिति विवरण पत्रक का विश्लेषणः–

चालू अनुपातः–

वर्तमान अनुपातों में नगद और बैंक बैलेंस, बिक्री योग्य प्रतिभूतियां, बिल्स लेनदारी, माल ऋण और एडवांस पेमेंट व्यय शामिल होते है। वर्तमान दायित्व में लेनदार , बिल्स, बैंक ओवरड्राट, कम समय के ऋण, कड़ी देनदारियां और इनकम टैक्स, लावारिस लाभांश और प्रस्तावित लाभांश शामिल है।सामान्य प्रतिशत 2:1 अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है।

$$\text{चालू अनुपात} = \frac{\text{चालू सम्पत्तियां}}{\text{चालू देनदारियां}}$$

सारणी क्रमांक 1
भारतीय जीवन बीमा निगम का चालू अनुपात
(वर्ष 2005–2006 से 2014–2015 के अंतराल में)

Source: Computed from the annual report and accounts Life Insurance Corporation

भारतीय जीवन निगम चालू अनुपात वर्ष 2005–06 में 5.68 प्रतिशत था जो 7.65 प्रतिशत बड़कर 2006–07 में 13.34 प्रतिशत हो गया दूसरा ये 9.92 प्रतिशत से बड़कर वर्ष 2007–08 में 23. 26 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2008–09 में 22.91 प्रतिशत से घटकर 0.35 प्रतिशत रह गया वर्ष 2009–10 में इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और ये 1.41 प्रतिशत से बढ़कर 1.76 प्रतिशत हुआ और वर्ष 2010–11 में 1.22 प्रतिशत से बढ़कर 2.98 प्रतिशत हुआ 2011–12 में ये .1.41 प्रतिशत से गिर कर 1.56 प्रतिशत हुआ जबकि वर्ष 2012–13 में 0.22 से घटकर 1.34 प्रतिशत हुआ फिर 2013–14 में ये 0.23 प्रतिशत से घटकर 1.104 प्रतिशत पर पहुच गया और अंत में 2014–15 में 0.062 प्रतिशत की बड़ोतरी के साथि इसमें 1.167 की वृद्वि हो गई।

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का चालू औसत माध्य 52.573 प्रतिशत रहा है, जो वर्ष 2007–08 में सबसे ज्यादा 23.26 प्रतिशत और सबसे कत वर्ष 2008–09 में 0.35 प्रतिशत रहा है।

2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफलः–

यह व्यापार की नाभप्रदता का सूचकांक है, और नियोजित पूंजी के साथ निवल लाभ अनुपात की तुलना करके प्राप्त किया जाता है। नियोजित टर्म कैपिटल में कार्यरत शेयर पूंजी, रिजर्व और

दीर्घकालिक देयताएं शामिल है

$$\text{नियोजित पूंजी पर प्रतिफलत्र} = \frac{\text{अंशपूंजी . संरक्षित निधियां . लेनदारियां}}{\text{शुद्ध लाभ (टैक्स चुकाने के पहले)}}$$

किसी भी उद्यम की सफलता इस अनुपात के मदद से जान सकते है, प्रबंधक की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है।

सारणी क्रमांक – 1.2

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड का अवधि नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 2005–2006 से 2014–2015 की अवधि के लिए

जैसा की सारणी क्रमांक 4.2 और आरेख क्रमांक 4.3 में दर्शाया गया है, वर्ष 2005–2006 से 2015–2016 तक की अवधि में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अनुपात का प्रतिशत् सदैव अस्थिर रहा है, उसमें घट बढ़ दिखाई दे रही है ।

वर्ष 2005–2006 तक की अवधि में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल अनुपात 5.07 प्रतिशत् था जो 0. 45 प्रतिशत् से बढ़कर 5.51 प्रतिशत् वर्ष 2006–2007 में हो गया । दूसरा 0.141 प्रतिशत् से बढ़कर वर्ष 2007–2008 में ये 5.65 प्रतिशत् हो गया। जबकि 0.29 प्रतिशत् बढ़कर ये वर्ष 2008–2009 में ये 5.94 प्रतिशत् हो गया। दूसरा ये फिर .177 प्रतिशत् से बढ़कर वर्ष 2009–2010 में 6.12 प्रतिशत् हो गया। वर्ष 2010–2011 में ये 0.162 प्रतिशत् से बढ़कर 6.29 प्रतिशत् हुआ। वर्ष 2011–2012 में ये फिर 0.20 प्रतिशत् से बढ़ा और 6.49 प्रतिशत् हो गया। वर्ष 2012–2013 में इसमें 1.31 प्रतिशत् की बढ़ोतरी हुई और ये 7.9 प्रतिशत् तक पहुंच गया। वर्ष 2013–2014 में ये 0.77 प्रतिशत् की बढ़ोतरी के साथ 8.58 प्रतिशत् था। सबसे आखिर में वर्ष 2014–2015 में इसमें 0.48 प्रतिशत् की बढ़ोतरी हुई और ये 9.07 प्रतिशत् तक पहुंच गया ।

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का अनुपात का औसत 6.55 प्रतिशत् रहा है ।

सबसे ज्यादा भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का अनुपात 9. 07 प्रतिशत् वर्ष 2014–2015 में रहा है ।

सबसे कम भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का अनुपात 5.07 प्रतिशत् वर्ष 2005–2006 में रहा है ।

4.6 स्वामित्व कोष पर प्रतिफल :–

यह क्षमता देखने के लिए कि उद्योग में नियोजित स्वामित्व कोष पर कितना प्रतिफल मिलता है, ये इस अनुपात से निर्धारित किया जाता है, स्वामित्व कोष में अंश पूंजी और सुरक्षित निधियां शामिल होते हैं, यह संभावित निवेशकों के लिए बहुत व्यावहारिक महत्व का है, क्योंकि यह एक कंपनी की लाभप्रदता को अन्य कंपनी की लाभप्रद के साथ तुलना सक्षम बनाता है। ये इस बात को भी दर्शाता है, की प्रतिफल उनके द्वारा लिए जोखिम की तुलना में संतोषप्रद है या नहीं ये अनुपात ये बताता है की अंशपूंजी पर कितना लाभांश दिया जाना चाहिए ये उसका स्वाभाविक रूप होता है, जब अंशप. ूंजी पर प्रतिफल की गणना की जाती है, लाभ हमेशा लिए हुए कर्ज पर ब्याज और कर चुकाने के बाद होता है। ये अनुपात हमेशा प्रतिशत् में दर्शाया जाता है ।

स्वामित्व कोष पर प्रतिफल = शुद्ध लाभ कर चुकाने के बाद ———————————— '100'
अंशपूंजी सुरक्षित निधियां

सारणीक्रमांक– 4.3

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेडका अवधि स्वामित्व कोष पर प्रतिफल
(वर्ष 2005–2006 से 2014–2015 की अवधि के लिए)

(Return on proprietors fund of Life Insurance Company for the Period from 2005-2006 to 2014-2015)

जैसा की सारणी क्रमांक 4.3 और आरेख क्रमांक 4.4 में दर्शाया गया है कि स्वामित्व कोष पर प्रतिफल का प्रतिशत् वर्ष 2005–2006 से 2014–2015 तक की अवधि में अस्थिर प्रवृत्ति दिखा रहा है । वर्ष 2005–2006 तक की अवधि में स्वामित्व कोष पर प्रतिफल अनुपात 5.07 प्रतिशत् था, जो 0.43 प्रतिशत् से बढ़कर 5.51 वर्ष 2006–2007 में हो गया, दूसरा 0.141 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007–2008 में ये 5.65 प्रतिशत हो गया। जबकि 0.29 प्रतिशत से बढ़कर ये वर्ष 2008–2009 में 5. 94 प्रतिशत हो गया। दूसरा ये फिर 0.177 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2009–2010 में 6.12 प्रतिशत हो

गया। वर्ष 2010–2011 में ये 0.162 प्रतिशत से बढ़कर 6.29 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2011–2012 में ये फिर 0.20 प्रतिशत से बढ़ा और 6.49 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012–2013 में इसमें 1.31 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, और ये 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गया। वर्ष 2013–2014 में ये 0.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 8.58 प्रतिशत था। सबसे आखिर में वर्ष 2014–2015 में इसमें 0.48 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये 9.07 प्रतिशत तक पहुंच गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व कोष पर प्रतिफल का अनुपात औसत 6.55 प्रतिशत रहा है। सबसे ज्यादा भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व कोष पूंजी पर प्रतिफल का अनुपात 9.07 प्रतिशत वर्ष 2014–2015 में रहा है। सबसे कम भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेडके स्वामित्व कोष पर प्रतिफल का अनुपात 5.07 प्रतिशत वर्ष 2005–2006 में रहा है।

सुझावः–

प्रस्तुत शोध में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत किया गया है

1. कंपनियों के प्रबंधन खर्च में कटौती होना चाहिए। कंपनी को प्रबंधन खर्चो के लिए आईआरडीए द्वारा गठित निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।
2. शाखाओं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, एलआईसी में ढांचागत सुविधाएं बढ़नी चाहिए, जिससे कि आम लोग आसानी से एलआईसी तक पहुँच सके। यदि उत्पादकता में सुधार शुरू होता है दक्षता में भी सुधार होगा।
3. अध्ययन के तहत सभी कंपनियों में, प्रबंधन खर्च के अनुपात को निर्धारित मानदंडों के भीतर रखा जाना चाहिए।
4. लागत को कम करने के लिए एलआईसी ने आवंटित समय सीमा में कानूनी दावों को निपटना चाहिए और वास्तविक नुकसान या क्षति के अनुसार क्षतिपूर्ति करना चाहिए।
5. पेश किये हुए दावों के सही और सटीक निपटान के लिए सर्वेक्षकों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति केंद्री.त सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर विशेष रूप से की जाना चाहिए और उनकी समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।

BIBLIOGRAPHY

- ACCC(AustralianCompetition&ConsumerCommission),2002,SecondInsurance IndustryMarketPricingReview,September2002,ACCC,Dickson.
- Ambrose,J.M.,andJ.A.Seward.,1988,Best'sRatingsFinancial RatiosandPrir Probabilities in InsolvencyPrediction,JournalofRisk and Insurance,55: 229-244.
- AmericanEconomicReview,Papers and Proceedings87(2):184-88.
- Anderson, J. and Brown,R.,2005, "Risk and Insurance",SocietyofActuaries,USA.

- Arestis,P.,andP.Demetriades.,1997,FinancialDevelopmentandEconomicGrowth: Assessing the Evidence,EconomicJournal,107(442): 783-799.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

जेल में सुविधाओं की स्थिति

शोधार्थी
अमृतासिंह बुंदेला
बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

राजश्री शास्त्री
प्रो. समाज शास्त्र
एक्सीलेंस कॉलेज
भोपाल (म.प्र.)

भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल जिसमें कैदियों की मौलिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये इसका निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम हम यहॉ के वातावरण की बात करें तो यहॉ का वातावरण शांत और स्वच्छ है। ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि यहॉ अपराधी निवास करते हैं। बन्दी पुरूष एवं महिलाऐं साथ–स्वच्छ कपड़ों में दिखायी देते हैं। पुरूष सफेद रंग के पैजामा–कुर्ता एवं महिलाऐं नीली बार्डर वाली हल्की पीले रंग की साड़ी पहनती है एवं विचाराधीन बंदी सामान्य कपड़ों में ही नजर आते हैं फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरूष। जेल में चारों ओर हरियाली का बहुत ध्यान रखा गया है। जेल परिसर के अंदर की मुख्य सड़क के दोनों ओर हरी–भरी घांस लगायी गयी है। बड़े–बड़े पेड़ जैसे–पीपल, नीम, बरगद एवं छोटे पेड़ भी लगाये गये हैं। जेल परिसर की सभी प्रकार के बागवानी का कार्य बंदी महिला और पुरूष ही संभालते हैं। महिला सेल में झूले युक्त एक बगीचा है, जिसमें हरी–भरी घांस है, छोटा–सा शिवजी का मंदिर भी है, जिसमें बंदी महिलाऐं सुबह के समय पूजा–अर्चना करती हैं तथा संध्या के समय वहॉ भजन भी गाती हैं। बगीचे में सीमेंट की बेंच बनी हुयी हैं जिस पर अक्सर वृद्ध बंदी महिलाऐं बैठी नजर आती हैं। बगीचा में स्कूल के बाद बच्चे झूला–झूलते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते रहते हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एक बड़ा हॉल है जिसमें आगे की ओर टी.आई. मेडम जो महिला जेल की उप–जेलर है, उनका कार्यालय है, जहॉ से वे बंदियों की गतिविधियों पर नजर रखती है, ताकि कहीं कोई अव्यवस्था एवं लड़ाई–झगड़ा न हो। प्रवेशद्वार पर दो महिला प्रहरी होती है एवं द्वार के बाहर दो पुरूष प्रहरी मौजूद है। द्वार पर खड़ी महिला प्रहरी रजिस्टर में आने–जाने वाले लोगों का नाम एवं समय दर्ज करवाती है। खुद टी.आई. मेडम या अन्य कोई भी अधिकारी आये वहॉ रजिस्टर में नाम आदि जरूर दर्ज करते हैं। प्रशासन के लोगों के बाद यहॉ की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी बंदी महिलाओं की होती है। यह जिम्मेदारी उन्हीं महिला बंदियों को दी जाती है जो बहुत पुरानी एवं विश्वसनीय होती है, जिन्हें वहॉ सी.ओ. एवं सी.एन.डब्ल्य. बनाया जाता है। समय–समय पर प्रशासन उनका हौंसला

बढ़ाने के लिये इन्हें पुरूस्कृत भी करता है।

जेल परिसर में साफ–सफाई की व्यवस्था–

जेल में साफ–सफाई का समुचित ध्यान रखा जाता है। बंदी महिला व पुरूष सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर अपना–अपना कार्य संभाल लेते हैं। यहॉ की साफ–सफाई की व्यवस्था बंदियों को ही सौंपी जाती है। जेल में 6 बैरक हैं जिसमें हर एक में अलग–अलग शौचालय एवं स्नानागार हैं। इन शौचालयों एवं स्नानागारों में पानी की आपूर्ति नलां द्वारा की जाती है। एक रसाई घर, एक विद्यालय, एक ऑगनवाड़ी, एक चिकित्सालय, एक प्रशिक्षण गृह, बगीचा एवं एक बड़ा हॉल है, जिसकी साफ–सफाई बंदी महिलाऐं स्वयं करती है। जेल में सबको अलग–अलग सीओ एवं सीएनडब्ल्यू इन पर नजर रखते हैं, जिससे कि कार्य ठीक तरह से किया जा रहा है अथवा नहीं। रसोई घर में बंदी महिलाओं को रोटी बनाने, सब्जी काटने आदि कामों को करना पड़ता है।

चिकित्सालय–

महिला जेल में एक प्राथमिक चिकित्सालय भी बनाया गया है, जिसमें 10 बिस्तर डाले गये हैं। इस चिकित्सालय में एक नर्स हमेशा मौजूद रहती हैं एवं हर 15 दिनों में डॉक्टर द्वारा बंदियों का चेकअप किया जाता है। यदि बंदी महिला या पुरूष गंभीर रूप से बीमार होता है, तो उसे तुरंत ही बड़े अस्पताल भेज दिया जाता है। बीमार महिलाओं को अलग से निःशुल्क दूध, फल, दलिया, दवाई उपलब्ध कराया जाता है। बंदी महिलाओं के साथ जो उनके बच्चे रहते हैं उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल पूर्ण रूप से जेल से जेल में रखा जाता है। कोई महिला गंभीर रोग या छुआछूत की बीमारी से पीड़ित है तो उसे अन्य महिला कैदियों के साथ नहीं रखा जाता। अतः जेल में चिकित्सा व्यवस्था का बखूबी इंतजाम रखा गया है।

विद्यालय एवं प्रशिक्षण की सुविधा–

जेल में एक विद्यालय की सुविधा भी है, जहॉ बच्चे एवं बंदी महिलाऐं शिक्षा प्राप्त करती है। बच्चों का विद्यालय सुबह 8.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं महिलाओं का 1.30 से 3.30 बजे तक लगता है। विद्यालय में एक शिक्षिका मौजूद रहती है एवं जो शिक्षित बंदी है, वे भी वहॉ शैक्षणिक कार्य में संलग्न रहते हैं। लगभग 8 बच्चे एवं 50 महिलाऐं प्रतिदिन स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहती है। बंदी महिलाओं के लिये इग्नू की किताबें दी जाती हैं साथ ही बच्चों के लिये खिलौने, बिस्किट, टॉफी आदि सामग्री भी स्कूल में रखी जाती है। बैठने के लिये टेबिल कुर्सी की

व्यवस्था स्कूल में उपलब्ध है।

एक प्रशिक्षण केन्द्र भी महिला जेल में उपलब्ध है, जिसमें गुड़िया उद्योग, सिलाई, बुनाई आदि कार्य सिखाऐ जाते हैं। वहॉ दो महिलाऐं प्रशिक्षण देने का कार्य संभाल रही हैं। बंदी महिलाऐं प्रशिक्षण प्राप्त तो करती ही है, साथ ही गुड़िया उद्योग में कार्य भी करती हैं और उस कार्य के एवज में उन्हें पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जो उनके खाते में जमा हो जाता है। जेल में चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्य से बंदी महिलाऐं आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी, जो कि उनके उज्जवल भविष्य के लिये बहुत लाभकारी रहेगा।

रसोई घर में साफ–सफाई की व्यवस्था–

रसोई घर में बंदी महिलाऐं स्वयं ही भोजन पकाती है, रसोई घर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहॉ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। महिला बंदियों को जेल में अलग–अलग काम सौंपा जाता है, जैसे–झाड़–पौंछा, खाना बनाना, बागवानी, शिक्षा देना, आफिस कार्य आदि। जिसम. ें से एक कार्य यह भी है रसोई घर में 10–15 महिलाऐं सभी बंदी महिलाओं के लिये खाना पकाती हैं, एवं सभी को लाइन में बिठाकर खाना परोसा जाता है, खाने में दाल, सब्जी, चावल, रोटी दी जाती है। जो महिलाऐं बीमार हैं, या गर्भवती हैं उनके लिये परहेज का खाना भी दिया जाता है। बच्चों के लिये सुबह नास्ता भी दिया जाता है। त्यौहारों पर खीर, पूरी, मिठाईयॉ इत्यादि उपलब्ध करायी जाती हैं, अतः खाने की उच्च कोटि की व्यवस्था जेल में देखने को मिली।

बंदी महिलाओं के लिये नहाने, कपड़े साफ करने एवं तेल, कंघा आदि सामान जेल में उपलब्ध कराये जाते हैं।

परिजनों से मिलने, बात करने एवं सामान लेने की सुविधा–

जेल में बंद महिलाओं को उनके परिजनों से मिलने की सुविधा उपलब्ध है, वे प्रत्येक रविवार 20 से 30 मिनिट तक अपने परिजनों से मिल सकती है, एवं उनके द्वारा दी गयी सामग्री को चैकिंग के पश्चात ले जा सकती है। जो परिजन जेल में बंद उनसे भी रविवार को मिलने का मौका दिया जाता है। जेल में एक फोन भी बंदियों के लिये उपलब्ध है ताकि वे घरवालों से बात कर पायें।

स्वास्थ्य, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन–

जिस प्रकार एक व्यक्ति को खाना–पीना, सांस लेना मौलिक आवश्यकता है, उसी प्रकार

एक व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहना भी अति आवश्यक है। जेल में बंदियों के मनोरंजन के लिये प्रत्येक बैरकों में टी.व्ही. उपलब्ध हैं। संध्या भजन, गाने सुनने के लिये सी.डी. प्लेयर, साउंड सिस्टम आदि की व्यवस्था की गयी है। शोध कार्य के द्वारा वहॉ की महिला बंदियों ने बताया कि हते में एक दिन सब महिलाऐं वहॉ बने बड़े हॉल में एकत्रित होकर नाच, गाना, कहानी, चुटकुला आदि का कार्यक्रम करती है। प्रत्येक त्यौहारों पर उन्हें त्यौहार मनाने की सामग्री भी उपलब्ध करायी जाती है तथा उनके लिये विशेष व्यवस्था भी की जाती है। जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस, हनुमान जयंती आदि पर जेल में बने मंच पर इनके द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुती भी दी जाती है। दिनांक 26.01.2015 को 66 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 2015 में म.प्र. जेल विभाग की झांकी का द्वितीय पुरूस्कार किया गया जिसे नारी सशक्तिकरण के ऊपर महिला बंदियों द्वारा ही तैयार किया गया था।

यहॉ पर अध्यात्मिक कार्य जैसे सत्संग, योग शिविर, रूद्राभिषेक प्रवचन, रोजा इतार को सकारात्मकता की ओर उन्मुख कराया जा सकते। अतः जेल में बंदियों के मनोरंजन की व्यवस्था एवं साथ ही साथ अच्छा जीवन जीने के लिये उन्हें प्रेरित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन यहॉ समय–समय पर कराया जाता है।

जेल में शिविर कार्यक्रमों का आयोजन–

जेल में महिला एवं पुरूष बंदियों के लिये समय–समय तक शिविर का आयोजन भी किया जाता है, इस वर्ष हुये शिविर आयोजन इस प्रकार है –

विधिक सहायता हेतु सहायता शिविर एवं जेल लोक अदालत का आयोजन विचाराधीन बंदियों के लिये वर्ष 2014–15 में किया गया।

स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014–15 में मलेरिया परीक्षण शिविर, वृहद रोग निदान एवं जॉच शिविर, दंत रोग परीक्षण एवं रोग निदान शिविर, एच.आई.वी एड्स रोग जागरूकता शिविर, वृहद नेत्र रोग परीक्षण एवं रोग निदान शिविर आदि संपन्न कराये गये हैं। वाकी बंदी स्वस्थ्य एवं रोग मुक्त रहे ताकि जेल का माहौल भी स्वस्थ्य रहे।

जेल के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार–

शोधकार्य के दौरान महिला बंदियों से बात की गयी। उनसे जेल व यहॉ रहने वाली महिलाऐं इन

सब के बारे में जानकारी ली गयी। यह जानकारी समूह चर्चा द्वारा एकत्र की गई।

जेल का माहौल–

अवलोकन से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहॉ साफ–सफाई बुनियादी वस्तुओं का ख्याल एवं शांति का पूर्णतः ख्याल रखा गया है। बंदियों से बात करके पता चला कि यहॉ वे बहुत शांति महसूस करती हैं। किसी तरह की रोक–टोक नहीं होती, ना ही यहॉ उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। जेल में 18–60 आयु तक की महिलाऐं बंद हैं उनका कहना है कि यहॉ उन्हें घर जैसी सुविधाऐं मुहैया करायी जाती हैं। जेल के भीतर सुबह के समय महिला बंदियों के स्नानादि होता है। सुबह 9.30 बजे तक कोई भी पुरूष फिर चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या कर्मचारी हो उसका आना बिल्कुल मना होता है। यदि महिला जेल में प्रशासनिक अधिकारी या वहॉ काम करने हेतु कोई कर्मचारी प्रवेश करना चाहते हैं तो पहले वहॉ की उप–जेलर को सूचना देनी पड़ती है, इसके बाद ही वहॉ प्रवेश संभव होता है। जेल की सुविधाओं एवं माहौल से यहॉ बंद बंदी महिलाऐं बहुत प्रसन्न हैं। कुछेक का तो यह भी कहना है कि जेल में आने से पहले की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की अब है। जेल के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में महिला बंदियों से पता चला कि यहॉ ड्यूटी देने वाली प्रहरी का बर्ताव एक मित्र की तरह है। अगर कोई समस्या होती है तो वे इन लोगों से ही बात करती हैं। शाम के समय जब सब लोग एकत्र होती हैं और यदि कोई विशेष समस्या हैं तो उप–जेलर को प्रहरी महिलाऐं स्वयं सूचित कर देती हैं। उप–जेलर के ऑफिस में पढ़ी–लिखी बंदी महिलाऐं काम संभालती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के लिये ये महिलाऐं सम्मान का भाव रखती हैं। यदि जेल में बंदी महिलाओं की बात उनके परिजनों से नहीं हो पा रही है, तो ये अधिकारी उनकी मदद करते हैं। विचाराधीन बंदियों की भी मदद करते हैं। विचाराधीन बंदियों को उचित सलाह भी देती हैं, उनको कोर्ट, कचहरी के मामलों की जानकारी भी देती हैं ताकि महिलाओं को कोई परेशानी न हो। अतः प्रशासनिक अधिकारी एवं बंदी महिलाओं के बीच परस्पर सहयोग, मित्रता एवं सम्मान का रिश्ता दिखायी दिया।

यदि महिला बंदियों के परस्पर संबंध की बात करें तो आपस में वे एक परिवार की भांति रहती हैं। शोध कार्य के दौरान देखा गया कि परस्पर वे एक–दूसरे के सुख–दुख बांटती नजर आयी है। जेल में 18–60 वर्ष एवं इससे भी अधिक उम्र की महिलाऐं रह रही हैं। बैरकों में भी वे अपनी हम उम्र के साथ रहती हैं और दिये हुये कार्यों को जिम्मेारीपूर्वक निभाती हैं। पढ़ी लिखी बंदिया अनपढ़ बंदियों एवं उनके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य एवं अन्य कार्यों जैसे बेल के लिये आवेदन, परिजनों एवं अशिक्षित महिलाऐं अन्य दूसरे कार्यों जैसे खाना बनाना, साफ–सफाई आदि जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं। जब कभी ये महिलाऐं अपनी आपबीती से भावुक हो जाती है, परन्तु ये महिलाऐं

आपस में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। नयी बंदिया जब जेल में प्रवेश करती है, उनमें घबराहट एवं नये माहौल का डर रहता है, परन्तु पहले से जेल में रह रही बंदिया उनको सहयोग प्रदान करती हैं उन्हें जेल के कायदे कानून से अवगत कराती है। जेल में आये बच्चों का ख्याल केवल उसकी मॉ ही नहीं यद्यपि समस्त महिलाऐं रखती हैं।

महिला जेल में एक गुनाह घर भी है जिसमें उन महिलाओं को रखा जाता है, जिनको कोई छूआछूत की बीमारी हो या उन्हें जिनका रबैया ठीक नहीं होता है। अध्ययन के दौरान गुनाह घर खाली पड़ा है, वहॉ कोई भी महिला बंदी नहीं है, न ही बंदियों में इस तरह की बीमारियॉ हैं न ही उनका रबैया इस तरह का है सब मिलजुलकर जेल में रह रही हैं।

निष्कर्ष–

संक्षेप में भोपाल केन्द्रीय जेल में कैदियों को आवश्यक सुविधाऐं मिलती हैं, सभी कैदियों को नियमानुसार खाना, कपड़ा आदि मिलता है। पुरूष तथा महिला कैदियों को पृथक–पृथक बैरकों में रखा जाता है, जिन महिला कैदियों के बच्चे बहुत छोटे हैं उन्हें उनकी मॉ के साथ ही रखा जाता है। सभी कैदियों को किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे जेल से छूटने के बाद समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और अपनी जीविकोपार्जन कर सके इसके साथ ही जेल की साफ–सफाई की जिम्मेवारी महिला तथा पुरूष दोनों कैदियों की होती है। साथ ही रसोई घर में काम को भी महिला और पुरूष दोनों कैदियों के मध्य कार्यो का बटवारा कर दिया गया है। समय–समय पर जेल परिसर के अंदर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाता है जिसमें कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी जॉच की जाती है। इसप्रकार देखें तो पाते हैं कि कई बार उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया कि बाहरी जिंदगी से अच्छी जिंदगी उन्हें जेल के अंदर लगती है।

Cloward and Ohlin. (1960). Delinquency and Opportunity : A Theory of Delinquent Gangs. Illinois : Free Press, Glencoe,.

Cohen, A K (1966). Deviance and Control. New Jersey : Prentice Hall,

Corney P. Louis. (1977) Probation and Parole California ; Mcgraw Hill Book Company, p.6.

Cressey R. Donald (1961). The Prison : Studies in Institutional Organization and Charge New York : Holt, Rinehart and Winston Inc.

Das, Sukla, (1977). Crime and Punishment in Ancient India, New Delhi

Datir, R.N. (1978). Prison as a Social System. Bombay : Popular Prakashan,

Devakar, (1985). "Prisons And Prison Reformation in British India" Social Defence, Vol, XX, No. 79, January, pp. 12-18.

Diaz, A.M. (1978). "Thoughts on Prision Reforms in India". Indian Journal of Criminology, Vol. 6, No. 2 July.

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राममणि द्विवेदी (शिक्षा संकाय)
प्राचार्य काल्याणिक केन्द्रीय शिक्षा निकेतन
महाविद्यालय अमरकंटक,
जिला अनूपपुर

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा. प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोगए तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें प्राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्धए चरित्रवान तथा कार्यकुशलष् युवक.युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गईए जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समितिए तथा 1993 में प्रोण् यशपाल समिति का गठन किया गया।

शिक्षा किसी राष्ट्र अथवा समाज की प्रगति का मापदंड है । जो राष्ट्र शिक्षा को जितना अधिक प्रोत्साहन देता है वह उतना ही विकसित होता है । किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति इस पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्र अपने नागरिकों में किस प्रकार की मानसिक अथवा बौदधिक जागृति लाना चाहता है ।

इसी नीति के अनुसार वह अनेक सुधारों और योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करता है जिससे भावी पीढ़ी को लक्ष्य के अनुसार मानसिक एवं बौद्धधिक रूप से तैयार किया जा सके ।स्वतंत्रता के पश्चात् देश में कई आयोग व समीतियों का गठन हुआ है ।

सभी को ष्बुनियादी शिक्षाष् के प्रारंभिक लक्ष्य में आशातीत सफलता मिली है । स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा पद्ध्धति में परिवर्तन लाते हुए प्राथमिक शिक्षा को चौथी से पाँचवीं तक किया गया ।

सन् 1964ए 1966ए 1968 तथा 1975 ई० में शिक्षा संबंधी आयोगों का गठन हुआ । 10.2.3 की शिक्षा पद्ध्धति को सन् 1986 ई० में लागू किया गया इसे देश के अनेक राज्यों में लागू किया गया । इसे ही नई ;वर्तमानद्ध शिक्षा नीति की संज्ञा दी गई । इसमें पूर्वकालीन शिक्षा संबंधी अनेक

विषमताओं व त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया ।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. एकरूपतारू

नई शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश के विद्घ्यालयों में 10.2 के प्रारूप पर तथा सभी महाविद्घ्यालयों में एक समान तीनवर्षीय उपाधि ;डिग्री कोर्सद्ध पाठ्घ्यक्रम लागू किया गया । देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में एक समान पाठ्घ्यक्रम लागू होने से छात्रों को सुविधा होती है ।

2. बुनियादी स्तर में परिवर्तनरू

नई शिक्षा नीति में बुनियादी स्तर पर ठोस उपाय किए गए हैं । उसके तहत प्रत्येक गाँव में अनिवार्य रूप ये विद्घ्यालय खोलने का प्रसताव है तथा सभी वर्ग के लोगों को कम से कम बुनियादी शिक्षा देने का प्रावधन है । इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को कम से कम बुनियादी सिक्षा देने का प्रावधान है ।

इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा दी गई है तथा साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है । प्रौढ़ों को शिक्षित करने के उद्घ्देश्य से देश भर में विभिन्न स्थानों पर अनौपचारिक शिक्षा के तहत आँगनबाडी केंद्र खोले गए हैं । हालाँकि ऐसे केंद्रों की संख्या अभी भी काफी कम है ।

3. जीवन शिक्षा की एकरूपतारू

इम शिक्षा नीति को जीवन के अनुरूप प्रायोगिक बनाया गया है । इसमें शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न संसाधनों.सरकारीए अर्द्धसरकारी तथा निजी सहायता स्त्रोतों की उपलब्धि को सुलभ बनाया गया है ।

4. आधुनिक संसाधनों पर विशेष बलरू

नई शिक्षा नीति में आधुनिक संसाधनों जैसे आकाशवाणीए दूरदर्शन व कंप्यूटर आदि के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है । इन संसाधनों के प्रयोग को और भी अधिक व्यापक बनाने हेतु प्रयास जारी हैं ।

5. केंद्रीय विद्यालयों को प्रोत्साहनरू

नई शिक्षा नीति में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्घ्यालय खोलने का प्रस्ताव है । समस्त केंद्रीय विद्घ्यालयों को समान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

6. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोजरू

इस उद्घ्देश्य की पूर्ति के लिए जिला स्तर पर ष्नवोदय विद्घ्यालयोंष् को स्थापित किया गया है

जिनमें विशेष स्तर की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है । यहाँ सभी विद्ध्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

7. परीक्षा.पद्धति में सुधाररू

नई शिक्षा नीति में परीक्षा पद्ध्धति में विशेष परिवर्तन किया गया है । इसमें छात्र के व्यावहारिक अनुभव व ज्ञान को विशेष आधार बनाया गया है ।

इस प्रकार यदि हम देश की नई शिक्षा पद्ध्धति का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि इसका आधार प्रायोगिक तथा व्यावहारिक है । यह पूर्वकालीन अनेक अटकलों का खंडन करती है । नई शिक्षा नीति राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने में विशेष भूमिका अदा कर रही है ।

भारत में करोड़ों बच्चे क्यों नहीं जाते स्कूल

गाँव में मिट्टी के खिलौने बनाते बच्चे।

भारत में शिक्षा का अधिकार क़ानून एक अप्रैल 2010 से लागू किया गया। भारत में इस कानून के छह साल पूरे हो गए हैं। इस कानून के तहत प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाली बच्चों की एक पीढ़ी छठीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं। बहुत से बच्चे नौवीं.दसवीं में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो नौवीं में दोबार फेल होकर फिर से नौवीं की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। मसलन स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है। हर साल आठवीं पास करने वाले बच्चों की संख्या के आँकड़े तेज़ी से बढ़े हैं। पर इसके साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता और स्कूल में बच्चों के ठहराव का सवाल ज्यों का त्यों कायम है। आठ करोड़ से ज्यादा बच्चों के कभी स्कूल नहीं जाने और स्कूल आने के बावजूद काम करने को मजबूर 78 लाख बच्चों की मौजूदगी भारत में प्राथमिक शिक्षा की बदहाली की कहानी दोहराती है।

शिक्षा का अधिकार क़ानून से क्या बदला

1. सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है।
2. शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई है।
3. करोड़ों बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला।
4. स्कूल से बाहर बच्चों की कुल संख्या में तकरीबन एक करोड़ की कमी आई है।
5. मगर अभी भी स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या 8ण्4 करोड़ है जो बहुत ज्यादा है। इसे कम करने के लिए गंभीर क़दम उठाने की जरूरत है।
6. आठवीं तक बच्चों को पास करने वाली नीति के कारण साक्षरता के आँकड़े बेहतर हुए हैं।
7. स्कूल में बच्चों का डर कम हुआ है।
8. शिक्षकों का व्यवहार बदला हैए वे भयमुक्त माहौल की बात से सहमत हैं।

9. स्कूल में बच्चों को मुफ्त भोजन और किताबें मिल रही हैं। आदिवासी और ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी बात है।
10. सरकारी स्कूल में आँकड़ों का काम काफी बढ़ा है। इसके कारण शिक्षण का कार्य भी प्रभावित हुआ है।

क्या नहीं बदलाए जिसे बदलने की जरूरत है

1. सरकारी व निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा हैए मगर ठहराव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत हैं।
2. सबको समान शिक्षा व गुणवत्ता वाली शिक्षा का सवाल अभी भी कायम हैं।
3. शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद भी भारत में सिंगल टीचर स्कूलों की मौजूदगी बनी हुई है।
4. स्कूलों में विभिन्न विषयों के अध्यापक नहीं हैए इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। वे आठवीं के बाद आगे पढ़ने लायक क्षमता का विकास नहीं कर पाते।
5. स्कूल आने वाले लाखों बच्चों में गणित और भाषा के बुनियादी कौशलों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण से स्कूल छोड़ने वाली स्थितियां निर्मित होती हैं।
6. भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि करोड़ों बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके।
7. बहुत से सरकारी स्कूलों में शौचालय की स्थिति दयनीय हैए बच्चे सम्मान के साथ उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस स्थिति में भी बदलाव की जरूरत है।
8. बहुत से स्कूलों में शिक्षक शराब पीकर आते हैं। या फिर स्कूल में हाजिरी लगाकर स्कूल से चले जाते हैं। ऐसी स्थिति का असर भी बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। इस पहलू में भी बदलाव की जरूरत है।
9. शिक्षा का अधिकार कानून शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात करता हैए जिसकी अनुशंसा कोठारी आयोग के समय से होती रही है। मगर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला माहौल बनाने की दिशा में ठस क़दम नहीं उठाए गए हैं।
10. शिक्षकों को बच्चों की प्रगति और पीछे रहने के लिए जिम्मेदार बनाने वाला सिस्टम नहीं बन पाया हैए इस दिशा में भी गंभीर पहल की जरूरत है।

बच्चे स्कूल क्यों नहीं जातेघ

मेंहदी में मिलाने वाली पत्ती तोड़ते स्कूली बच्चे।

भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आठ करोड़ से भी ज्यादा है। जो यह बताने के पर्याप्त है कि स्थिति काफी गंभीर है। हम और आप अपनी असल ज़िंदगी में रोज़ाना ऐसे बच्चों

से मिलते होंगे जो स्कूल से बाहर होटलों में काम करते हुएए जानवरों को चराते हुए या फिर परिवार के साथ शहरों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बहुत से बच्चे गाँव और गली मोहल्लों में दिनभर घूमते रहते हैं। या फिर परिवार के साथ खेतों पर काम करने जाते हैं। या फिर बाज़ार में सब्जी बेजने या फिर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं।

उपरोक्त कारणों से बच्चे रोज़ाना स्कूल नहीं जा पाते हैं। आइए ऐसे कारणों पर एक नज़र डालते हैं ।

1. भारत में पूर्व.प्राथमिक शिक्षा का मजबूत ढांचा न होना एक प्रमुख कारण है। इसके कारण समाज में पढ़ाई की जो संस्कृति और माहौल बनना चाहिएए वह नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के बारे में लोगों की सोच में जो बदलाव आना चाहिएए वह नहीं हो पाता। जिसका असर बार.बार अनेक रूपों में सामने आता है।
2. बच्चे परिवार के लोगों के साथ खेतों पर काम करने जाते हैं।
3. जब घर के लोग मजदूरी करने या खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तो वे घर पर छोटे बच्चों की देखरेख करते हैं।
4. बाज़ार में सब्जी बेचने के काम में परिवार के सदस्यों के साथ जाना।
5. होटल और दुकानों पर काम करना।
6. जानवरों को चराने के लिए ले जाना।
7. कपास और अन्य कामों में लगना जहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है।
8. जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जाना।
9. परिवार का बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूक न होना।
10. परिवार के आपसी झगड़ों की वजह से भी बच्चे का नियमित स्कूल आना प्रभावित होता है।
11. पढ़ना ना सीख पाना और स्कूल में पिटाई भी बच्चों के स्कूल न आने की एक बड़ी वजह है।
12. पैसे को पढ़ाई से ज्यादा तरजीह देने वाली स्थिति भी बच्चों की पढ़ाई छूटने की एक अहम वजह है। इस वजह से बहुत से बच्चे टीसी लेकर काम करने चले जाते हैं या फिर परीक्षाओं के समय आकर परीक्षा दे देते हैं।
13. आठवीं तक पास करने वाली नीति के कारण भी बच्चों का नियमित स्कूल आना प्रभावित हुआ है। क्योंकि अभिभावकों को लगता है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो क्या हुआघ् नाम तो कटेगा नहीं। फिर फेल भी नहीं होना है तो उसे स्कूल भेजने का क्या फायदा है।
14. कम उम्र के बच्चों का नामांकन भी बच्चों के नियमित स्कूल न आने का एक प्रमुख कारण है।

15. स्कूलों में काम की मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी स्टाफ की कमी है। अगर किसी स्कूल की शिकायत होती भी है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि शिक्षक अपनी राजनीति पहुंच का इस्तेमाल करके चीज़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इसे शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक दखल के रूप में देखा जा सकता है।

इन कारणों की सूची काफी लंबी है। जो सामाजिक परिवेश और परिस्थिति के अनुसार अलग.अलग हो सकती है। ऐसे अन्य कारण आप भी बता सकते हैं जिसके कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। या फिर वे स्कूल में दाखिला होने के बावजूद नियमित स्कूल नहीं आ पाते।

संदर्भ सूचीः–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिए 1986
- शिक्षा की चुनौतियाँ ;भारतीय शिक्षाद्ध
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 प्रारूप ;प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुटद्ध

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

''दण्डित एवं विचाराधीन महिला बंदियों का एक समाज शास्त्रीय अध्ययन''

शोधार्थी
अमृतासिंह बुंदेला
बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

राजश्री शास्त्री
प्रो. समाज शास्त्र
एक्सीलेंस कॉलेज
भोपाल (म.प्र.)

भारत में महिलाओं ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्रा. चीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाऐं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई है। विशेष रूप से महिलाओं की भूमिका की चर्चा करने वाले साहित्य के स्त्रोत बहुत ही कम हैं। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी। जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल–विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक, सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने परदा प्रथा को भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियॉ या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हांसिल की। अंग्रेजी शासन के दौराम राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिये लड़ाईयॉ लड़ी। हालांकि इस सूची से यह पता चलता है कि राज युग में अंग्रेजों का कोई भी सकारात्मक योजना नहीं था, यह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि मिशनरियों की पत्नियॉ जैसे कि मार्था मौल्ट, नी मीड और उनकी बेटी एलिजा काल्डवेल, नी मौल्ट को दक्षिण भारत में लड़कियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये आज भी याद किया जाता है। यह एक ऐसा प्रयास था जिसमें शुरूआती दौर में स्थानीय स्तर पर रूकावटों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसे परंपरा के रूप में अपनाया गया था। भारत में महिलाऐं अब सभी

तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी जिन्होंने कुल मिलाकर पंद्रह वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री रही। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14) राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिये समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति भी देता है (अनुच्छेद 15 (3)), महिलाओं की गरिमा के लिए आपत्तिजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 51 (ए) (ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियॉ सुरक्षित करने और प्रसूती सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42) 1990 में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज की गई अपराधों की कुल संख्या का आधा हिस्सा कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से संबंधित था। लड़कियों से छेड़छाड़ (एवं टीजिंग) पुरूषों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक चालबाज तरकीब (युफेमिज्म) है।

साहित्यों का विश्लेषण किया गया है उसमें से कुछ अध्ययन जेल के जीवन अपराध और केदियों तथा महिला केदियों की स्थिति को रेखांकित करता है। भारत के बाहर अमेरिका, इंग्लेण्ड, रूस, जर्मनी, फ्रांस, अफ्रीका व अन्य ऐसे ही अन्य देशों में संबंधित विषयों पर साहित्य उस सीमा तक उपलब्ध है जिससे विभिन्न जर्नलों संक्षेपकों, प्रकाशित पुस्तकों पर समय–समय पर देखा जा सकता है लेकिन भारतीय परिदृष्य में जेल में महिलाओं की स्थिति पर उतने अध्ययन नहीं हुये जितने कि विदेशों में हुये है। वर्तमान में इस बात की आवश्यकता है कि समाज शास्त्रियों, अपराध विज्ञानियों व समाज सेवकों ने महिला केदियों के अर्थपूर्ण अध्ययन की बात को कही है लेकिन महिला केदियों की स्थिति पर तो कोई अध्ययन हुआ लेकिन विचाराधीन महिला केदियों की स्थिति पर अध्ययन बहुत ही हम देखने को मिलता है। भारत गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हर विषय जो भारतीय समाज को प्रभावित करता है वाला देश है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपराध की जड़े फैली हुई हैं। अतः ग्रामीण अंचलों में अपराध के घटित होने की बात है को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में विचाराधीन और सजा प्राप्त महिला कैदियों की स्थिति और जेल के वातावरण को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अपराध की स्थिति भयंकर है उससे प्राथमिकता के आधार पर निपटने की जरूरत है। ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में परिवहन व संचार प्रणाली उन्नत हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों से अधिक प्रभावित होते देखे जा सकते हैं। हालाकि महिला कैदियों के साथ क्या होता है जब वे आरूचिकर अनिश्चित व दोषसिद्धी के कलंक लगने के कारण बाह्य दुनिया से अपना सामंजस्य कैसे बिठा पाती हैं जैसे–कारकों को रेखांकित किया जाना चाहिए। जेल प्रशासन द्वारा निभाई गई भूमिका शासन या

अन्य व्यक्तियों या समाज सेवक महिला अपराधियों के पुनर्वास कार्यक्रम में संलग्न लोग इन दोषी महिलाओं की समस्या को किस तरह से रेखांकित करते हैं। दूसरे शब्दों में, महिला अपराधियों और जेल प्रशासन व उसके सुधारात्मक उपायों पर गहन अध्ययन किया जाना अत्यावश्यक है। यहॉ यह भी ध्यान देना चाहिए कि महिला अपराधियों जो जेल के वातावरण से प्रभावित होती है उन्हें पुनर्वास के समय किन–किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे भी रेखांकित कर उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं–

1. उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि जानने का प्रयास।

2. अपराध को प्रमाणित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों को जानने का प्रयास।

3. उपेक्षा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में असहयोगिता के प्रभावों को जानने का प्रयास।

4. आर्थिक एवं व्यवसायिक शोषण के प्रभावों को जानने का प्रयास।

5. परम्परागत एवं सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास।

अतः प्रस्तुत शोध के कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न उपकल्पना प्रस्थापित की गई हैं–

1. उत्तरदायित्व के प्रभाव में नियमविहीनता महिलाओं पर आर्थिक प्रभाव करती है।

2. सामाजिक एवं सांस्कृतिक विघटन अपराध के लिये प्रेरित करता है।

3. सामाजिक स्थिति के हास्य का प्रभाव महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है।

4. आर्थिक एवं व्यवसायिक हानि महिलाओं को अस्वीकृत नियमों के पालन के लिये प्रेरित करती है।

5. शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप अपराध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

प्रस्तुत शोध में सामाजिक संर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण विधि, सामजिक समस्याओं को अपने हृदय से उसके अंतनिर्हित कारणों को जानने का प्रयास करता है और उसके समाधान के लिये तथ्यों की खोज करता है। प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत वैयक्तिक अध्ययन, साक्षात्कार तथा अवलोकन पद्धतियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। परिमाणात्मक पद्धतियों के अंतर्गत, सामाजिक सर्वेक्षण प्रयोगात्मक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा सांख्यिकीय पद्धति का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध का विश्लेषण समाज शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर किया गया जिसमें प्रमुख एवं गौण स्त्रोतों की समीक्षा तथा विश्लेषण किया गया। प्रमुख स्त्रोतों के अंतर्गत महिला कैदियों के परिवार के अन्य सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थिति का अध्ययन किया गया। इस कार्य के लिये सर्वेक्षण कार्य किया इस शोध अध्ययन के अपराधी, कैदी एवं ऐसे परिवार, समाज सेवी संस्थाऐं, जेल, बंदी सुधारालय, थाने, अधिवक्ताओं एवं इससे संबंधित व्यक्तियों का सहयोग संदर्भ बिन्दु की सहायता ली गई है। अध्ययन आरंभ करने के पूर्व उपयुक्त चरणों का निर्धारण किया गया है एवं अध्ययन को सुनियोजित ढंग से संपन्न करने की योजना निश्चित की है।

कैदियों की पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अध्ययन के लिए जिला भोपाल मध्यप्रदेश को विषय अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया है। अध्ययन क्षेत्र का कार्य न तो अत्याधिक बडा है और न ही अत्याधिक छोटा है इससे अध्ययन की दृष्टि से भोपाल जिला उपयुक्त है। भोपाल में केन्द्रीय जेल होने के कारण शोधकर्ता क लिये कैदियों के परिवार की पारिवारिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विश्लेषण के लिये पर्याप्त संख्या मिली।

भोपाल केन्द्रीय जेल में कैदियों को आवश्यक सुविधाऐं मिलती हैं। सभी कैदियों को नियमानुसार खाना, कपड़ा आदि मिलता है। पुरूष तथा महिला कैदियों को पृथक–पृथक बैरकों में रखा जाता है। जिन महिला कैदियों के बच्चे बहुत छोटे हैं उन्हें उनकी मॉ के साथ ही रखा जाता है सभी कैदियों को किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे जेल से छूटने के बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। इसके साथ ही जेल की साफ–सफाई की जिम्मेदारी महिला तथा पुरूष दोनों कैदियों की होती है। परिसर की साफ–सफाई के अतिरिक्त रसोईघर की साफ–सफाई की जिम्मेदारी महिला कैदियों की होती है।

साथ ही रसोई घर में काम को भी महिला और पुरूष दोनों कैदियों के मध्य कार्यों का बटवारा कर दिया गया है समय–समय पर जेल परिसर के अंदर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाता है जिसमें कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी जॉच की जाती है इसप्रकार देखें तो पाते हैं कि कई बार उत्तरदाताओं द्वारा ये कहा गया कि बाहरी जिंदगी से अच्दी जिंदगी उन्हें जेल के अंदर लगती है।

बंदी महिलाओं के परिवार के निवास स्थान के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बंदी महिलाओं के निवास स्वच्छ स्थल पर निर्मित नहीं है। यह भी पाया गया है कि बंदी महिलाओं का परिवार घनी आबादी वाले क्षेत्रों में निवासरत है यह तथ्य भी सामने आया है कि बंदी महिलाओं के परिवार ज्यादातर संयुक्त परिवार में रहते हैं, साथ ही यह भी पता चला कि बंदी महिलाओं के परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करते हैं। इस प्रकार अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आई है कि बंदी महिलाओं के परिवारों में परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता नहीं पाई जाती है बंदी महिलाओं के अधिकतर परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें धन का संकट रहता है इसलिये निष्कर्षतः कहा जा सकता है धनाभाव के कारण बंदी महिला ने अपराध जगत में प्रवेश किया है।

बाह्य वातावरण का व्यक्ति के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बंदी महिलाओं का रूझान हिंसक फिल्मों के प्रति अधिक है वही मनोरंजक फिल्मों को देखकर भी अपना मनोरंजन करती हैं। इसप्रकार यदि विचारों के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को कसौटी पर रखे और विचारों की भूमिका को देखें तो विचारों की प्रचंड शक्ति का बोध होता है। धर्मगुरूओं का प्रभाव भी बंदी महिलाओं के स्वभाव पर देखा गया है। अपराध क्षेत्र में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण या तो बंदियों के मित्र रही है या समाज की कार्यप्रणाली ने उन्हें अपराधी बनने पर मजबूर किया है । उत्तरदाताओं ने गरीबी को अपराधी बनने का सबसे बड़ा कारण माना है। जेल में बंदी महिलाओं से उनके परिवार के सदस्य आते हैं अथवा नहीं इस बात का प्रभाव भी उसके व्यवहार पर पड़ता है। वह स्वयं अनबंदियों से किस प्रभाव का व्यवहार रखती है इस बात का प्रभाव भी उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है जिसकी परिणीति उनके व्यवहार पर पड़ती है। जेल से छूटने के लिये वकील करना उनकी फीस का इंतजाम करना आदि बातें भी उसके व्यवहार को प्रभावित करती है।

संदर्भ :–

Dutta, A.K. And Venugopal, G. (1983). " Spatial Patterns of Crime among Indian Cities." Geoforum, Vol. 14, No. 2, pp. 223-233. (Quoted in Mohanty

Samaundra, 1990, Ibid.)

Galway J Edward. (1948). " A Measurement of the Effectiveness of Reformatory Programme", (Unpublished Ph.D thesis of the Ohio State University,

Gillen, J.L. (1945), Criminology and Penology. New York : D Appleton Century, P. 221.

Glaser, Daniel. (1964). The Effectiveness of a Prison and Parole System. New York : The Bobbs Merill Company, Inc.

Guha Roy, Jain Tilak (1989). Prisons and Society : A Study of the Indian Jail System (Delhi : Cian Publishers,

Haikerwall, S.S. (1934). Economic and Social Aspects of Crime in India. (London : George Allen and Unwin Ltd.,

Healy, Bronner, (1936). New Light on Delinquency and its Treatments, USA, New Haven, Yale Univercity,

Jadhav, D.G. (1995). Modernization of Correction Administration in India. IKLN Reddy Memorial Lecture. Cyclostyled, 9th February. Vellore, Tamilnanu.

Javis, D.C. (1978) Institutional Treatment of the Offenders, (London : McGraw Hill Company, pp. 51-52.

Johnson, E.H. (1978). Crime, Correction and Society (Illionois : The Dorsey Press, p. 364.

Madan, G.R. (1966). Indian Social Problems (Bombay : Allied Publishers, p. 126.

Mallaih, C.S. Review of Prison System and its Reforms in India-A Short History, Cyslostyled.

Merton, T, (1966). 'The dilemma of Prison Reforms, New York : Halt, Renehart and Dinstou,

Miller, W.B. Lower (1962). "Jail for 1811 to 1859 : A Resume" Social Defence, Vol. XXI, No. 84, April.

Mohanty and Hazary. (1990). Indian Prison System. (New Delhi : Ashish Publishers.
Mohanty, Amarendra and Narayan Hazary. (199), Indian Prison System (New Delhi : Ashish Publication,

Mohanty, Das, Pujar. (1988) "Convicted Murderers and their Attitude towards the Prison Vocational Programmes", Indian Journal of Criminology, Vol. 16, No. 2, July, pp. 119-125.

Mohanty, Samaradra, Chambliss, W.J. (1990). Functional and Conflict Theories of Crimes in Chambliss And Mankart, 'Whose Law? What Order ?' John Wiley and Sons, Now York.

Mohanty, Samarendra (1990). A Paper Presented at the Conference of Social Work, Bombey 1967 (Quoted in 1990)

Mohanty, P. Samarendra. (1990). Crimes and Criminals. (New Delhi : Ashish Publishing House,

Nagaraj R (1992), unpublished Ph.D thesis "A Sociological Study of Prison Community in Mysore", P. 13

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

भारत में नया सेवा एवं वस्तु कर (एक परिचय)

डॉ.मोनिका राजवेद
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
राजीव गांधी महाविद्यालय

गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर भारत में १ जुलाई २०१७ से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इससे केन्द्र एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।,

1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग–अलग कर लगाती हैं लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगाया जाएगा पूर्व में किसी भी सामान पर 30 से 35ः तक कर देना पड़ता था कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला कर 50ः से ज्यादा होता था जीएसटी आने के बाद यह कर अधिकतम 28 प्रतिशत हो जाएगा जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर नहीं होगा जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था को एक देश एक कर वाली अर्थव्यवस्था बना देगा। फिलहाल भारतवासी 17 अलग–अलग तरह के कर चुकाते हैं जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर दिया जाएगा इसके लागु होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो जाएंगे।

कर की प्रकृति

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को

आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

संभावित लाभ

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था से निम्न लाभ संभावित हैं।

व्यापार और उद्योग के लिए

आसान अनुपालन, पारदर्शितारू एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।

कर दरों और संरचनाओं की एकरूपतारू जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।

करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति– मूल्य श्रृंखला और समस्त राज्यों की सीमाआ. ं से बाहर टैक्स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी। प्रतिस्पर्धा में सुधार दृ व्यापार करने में लेन–देन लागत ाटने से व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ दृ जीएसटी में केन्द्र और राज्यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्यापक रूप से समाहित होने और केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्थानीय रूप से निर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत ाटाने में लंबा रास्ता तय करना होगा।

केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए।

सरल और आसान प्रशासन – केन्द्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को

जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्द्र और राज्यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य प्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।

कदाचार पर बेहतर नियंत्रण दृ मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंतरूनिर्मित तंत्र है, जिससे व्यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्साहन दिया जाएगा। अधिक राजस्व निपुणता दृ जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्ताओं के लिए

वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर दृ केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्यक्ष करों या मूल्य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्ध गैर–इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। समग्र कर भार में राहत दृ निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

1. जी एस टी क्या है?

वस्तु एव। सेवा कर या जी एस टी एक व्यापक, बहु–स्तरीय, गंतव्य–आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा। इसे समझने के लिए, हमें इस परिभाषा के तहत शब्दों को समझना होगा। आइए हम 'बहु–स्तरीय' शब्द के साथ शुरू करें। कोई भी वस्तु निर्माण से लेकर अंतिम उपभोग तक कई चरणों के माध्यम से गुजरता है । पहला चरण है कच्चे माल की खरीदना । दूसरा चरण उत्पादन या निर्माण होता है । फिर, सामग्रियों के भंडारण या वेर्हाउस में डालने की व्यवस्था है । इसके बाद, उत्पाद रीटैलर या फुटकर विक्रेता के पास आता है । और अंतिम चरण में, रिटेलर आपको या अंतिम उपभोक्ता को अंतिम माल बेचता है ।

यदि हम विभिन्न चरणों का एक सचित्र विवरण देखें, तो ऐसा दिखेगा।

इन चरणों में जी एस टी लगाया जाएगा, और यह एक बहु–स्तरीय टैक्स होगा। कैसे? हम शीघ्र ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले, आइए हम 'वैल्यू ऐडिशन' के बारे में बात करें।

मान लें कि निर्माता एक शर्ट बनाना चाहता है । इसके लिए उसे धागा खरीदना होगा। यह

धागा निर्माण के बाद एक शर्ट बन जाएगा । तो इसका मतलब है, जब यह एक शर्ट में बुना जाता है, धागे का मूल्य बढ़ जाता है। फिर, निर्माता इसे वेयरहाउसिंग एजेंट को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट में लेबल और टैग जोड़ता है । यह मूल्य का एक और संवर्धन हो जाता है । इसके बाद वेयरहाउस उसे रिटेलर को बेचता है जो प्रत्येक शर्ट को अलग से पैकेज करता है और शर्ट के विपणन में निवेश करता है। इस प्रकार निवेश करने से प्रत्येक शर्ट के मूल्य में बढ़ौती होती है ।

इस तरह से प्रत्येक चरण में मौद्रिक मूल्य जोड़ दिया जाता है जो मूल रूप से मूल्य संवर्धन होता है। इस मूल्य संवर्धन पर जी एस टी लगाया जाएगा । परिभाषा में एक और शब्द है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है दृ गंतव्य–आधारित। पूरे विनिर्माण श्रृंखला के दौरान होने वाले सभी लेनदेन पर जी एस टी लगाया जाएगा। इससे पहले, जब एक उत्पाद का निर्माण किया जाता था, तो केंद्र ने विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क या एक्साइस ड्यूटी लगाता था । अगले चरण में, जब आइटम बेचा जाता है तो राज्य वैट जोड़ता है। फिर बिक्री के अगले स्तर पर एक वैट होगा।

अब, बिक्री के हर स्तर पर जीएसटी लगाया जाएगा। मान लें कि पूरे निर्माण प्रक्रिया राजस्थान में हो रही है और कर्नाटक में अंतिम बिक्री हो रही है। चूंकि जी एस टी खपत के समय लगाया जाता है, इसलिए राजस्थान राज्य को उत्पादन और वेयरहाउसिंग के चरणों में राजस्व मिलेगा । लेकिन जब उत्पाद राजस्थान से बाहर हो जाता है और कर्नाटक में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंच जाता है तो राजस्थान को राजस्व नहीं मिलेगा । इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य–आधारित कर है । इसका मतलब यह है कि कर्नाटक अंतिम बिक्री पर राजस्व अर्जित करेगा, क्योंकि यह गंतव्य–आधारित कर है और यह राजस्व बिक्री के अंतिम गंतव्य पर एकत्र किया जाएगा जो कि कर्नाटक है।

2. वस्तु एवं सेवा कर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

अब हम जी एस टी समझ गए हैं तो हम देखते हैं कि यह वर्तमान टैक्स संरचना को और अर्थव्यवस्था को बदलने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाएगी।

वर्तमान में, भारतीय कर संरचना दो में विभाजित है दृ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर । प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स वह हैं जिसमें देनदारी किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप उस पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

अप्रत्यक्ष करों के मामले में, टैक्स की देनदारी किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपने बिक्री पर वैट देता है तो वह अपने ग्राहक को देयता दे सकता है । इसलिए ग्राहक आइटम की कीमत और वैट पर भुगतान करता है ताकि दुकानदार सरकार को वैट जमा कर सके। मतलब ग्राहक न केवल उत्पाद की कीमत का भुगतान करता है,

बल्कि उसे कर दायित्व भी देना पड़ता है, और इसलिए, जब वह किसी आइटम को खरीदता है तो उसे अधिक खर्च होता है।

यह इसलिए होता है क्योंकि दुकानदार को जब वह आइटम थोक व्यापारी से खरीदा था तब उसे कर का भुगतान करना पड़ा था। वह राशि वसूल करने के साथ ही सरकार को भुगतान किए गए वैट की भरपाई के लिए वह अपने ग्राहक को देयता दे देता है जिसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है।लेन–देन के दौरान दुकानदार के लिए अपनी जेब से जो भी भुगतान करता है, उसके लिए रिफंड का दावा करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है और इसलिए, उसके पास ग्राहक की देयता को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

सन्दर्भः–

"Upswing in GST revenue trends: Rs 892.64 bn collected in March, says Adhia", Business Standard, 2 April 2018

"GST collection falls to Rs 85,174 crore in February; only 69% file returns", The Times of India, 27 March 2018

"GST collection for January comes in at Rs 86,318 crore", The Economic Times, 27 February 2018

"GST revenue for December rises to Rs 86,703 crore; halts 2-month reverse trend", Business Today, 11 February 2018

"GST collections dip for second month in Nov to Rs 80,808 crore", The Economic Times, 27 December 2017

"Why many registered taxpayers are not filing GST returns", Business Today, 27 February 2018

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

A Study on Occupational Stress and Mental Health of Teachers in relation to Teachers' Effectiveness in different system of secondary Education.

Smt. Alka. Nayak. (Research Scholar)
(B.U.University,Bhopal)

Introduction: The progress of country in various spheres like science, technology, literature, commerce and society etc. depends on an effectively planned education system. The effectiveness of the education system largely depends upon the active, resourceful and competent teachers. Effective teacher not only complete the entire educational curricula assigned to him in the best and most efficient manner but also ensures the best possible academic performance and an optimum development of the personality of the students. . For entire practical purposes the quality of education primarily reflected in the quality and effectiveness of its teachers. The major drawback of the present education system is the lack of stress free and mentally healthy teachers especially at secondary level of education. The present study is done with a view to finding out Occupational Stress and Mental Health of Teachers in relation to Teachers' Effectiveness in different system of secondary Education

Objectives of the study:

1. To study the status of occupational stress in male and female teachers of different types of secondary schools.
2. To study the status of mental health in male and female teachers of different types of secondary schools.
3. To study the teacher effectiveness in relation to occupational stress of male and female teachers of different types of secondary schools.
4. To study the teacher effectiveness in relation to mental health of male and female teachers of different types of secondary schools

Hypothesis:

Hypothesis (H01) There exists no significant main and interactional effects of gen-

der and board on mean scores of occupational stress of secondary school teachers.
Hypothesis (H01.1) There exists no significant main effects of gender and board on mean scores of occupational stress of secondary school teachers.
Hypothesis (H01.2) There exists no significant interactional effects of gender and board on mean scores of occupational stress of secondary school teachers.
Hypothesis (H02) There exists no significant main and interactional effects of gender and board on mean scores of mental health of secondary school teachers.
Hypothesis (H0l2.1) There exists no significant main effects of gender and board on mean scores of mental health of secondary school teachers.
Hypothesis (H02.2) There exists no significant interactional effects of gender and board on scores of mental health of secondary school teachers.
Hypothesis (H03) There exists no significant main and interactional effects of mean scores of occupational stress with respect to gender and board on mean scores of teachers effectiveness of secondary school teachers. Hypothesis (H03.1) There exists no significant main effects of occupational stress gender and board on mean scores of teacher effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H03.2) There exists no significant two way interactional effects between occupational stress and gender occupational stress and board gender and board on mean scores of teacher effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H03.3) There exists no significant three way interactional effects between occupational stress gender and board on mean scores of teacher effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H04) There exists no significant main and interactional effects of mean scores of mental health with respect to gender and board on mean scores of teachers effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H04.1) There exists no significant main effects of mental health gender and board on mean scores of teacher effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H04.2) There exists no significant two way interactional effects between mental health and gender mental health and board and gender and board on mean scores of teacher effectiveness of secondary school teachers.
Hypothesis (H04.3) There exists no significant three way interactional effects between mental stress gender and board on mean scores of teacher effectiveness of

secondary school teachers.

Research Methodology: In the present study three way ANOVA factorial design was applied. 501 teachers from M.P. board and CBSE board in Sagar district. were taken for sample. Descriptive survey method was used. .Tool: In present study Teacher effectiveness scale by Dr. Promod Kumar and D. NMuth Occupational stress index by Dr. A. K. Shrivastava and Dr. A.P. Singh and RCE mental health scale by S.P. Anand was used.

Table 1: Summary of 2x2 ANOVA showing main and interactional effects of gender and board on the occupational stress of secondary school teachers.

Main effect:: Table 1 showS Only F value for board is significant at 0.01 level of confidence indicating a significance of board on occupational stress of secondary school teachers.

Table 2: Significance of difference between means of occupational stress of secondary school teachers of two board viz. CBSE and M.P. board.

Table 2: shows that the MP board teachers has significantly more occupational stress compared to CBSE board .teachers.

Interactional effect:

Table 1: shows that the occupational stress of secondary school teachers at two levels of gender (male and Female) and two levels of board (CBSE and MP) are not statistically different from each other.

Table: 3 Summary of 2x2 ANOVA showing main and interactional effects of gender and board on the mental health of secondary school teachers.

Dependent variable: mental health

Main effect

Table 3 shows that the Gender is significant at 0.01 level of confidence indicating a significance of Gender on Mental health of secondary school teachers.

Tablle 4: Table Significance of difference between means of mental health of secondary school teachers of two gender viz. male and female

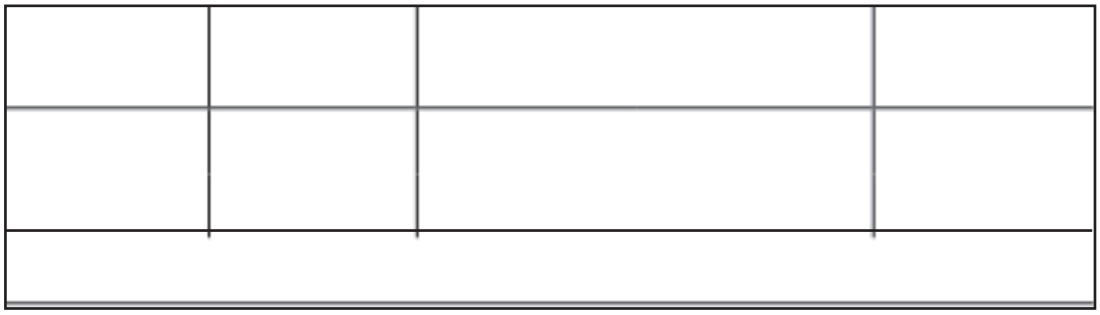

Table 4 shows that the mental health of female secondary school teachers are higher than the mental health of male secondary school teachers.

Interaction effect: table 3 shows that the the mental health of secondary schools teachers at two levels of gender (male and Female) and two levels of board (CBSE and MP) are not statistically different from each other.

Table 5: Summary of 2x2x2 ANOVA showing main and interactional effects of occupational stress, gender and board on the teacher effectiveness of secondary school teachers.

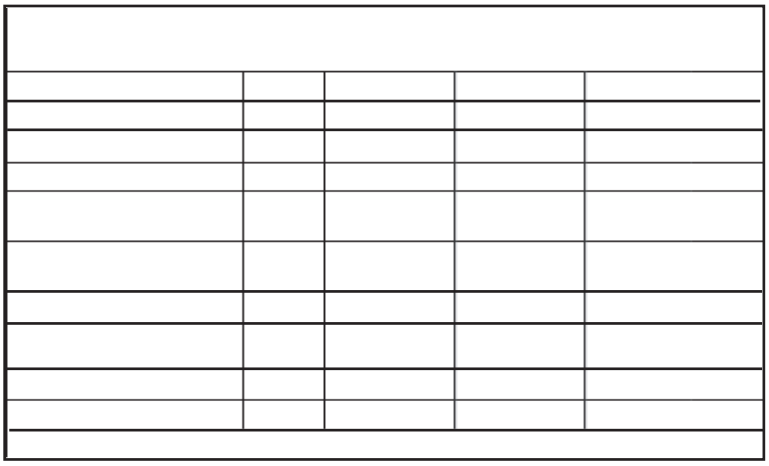

Main Effect: Table 5 showing the F value only for board is significant at 0.01 level of confidence indicating a significance of board on teacher effectiveness of second-

ary school teachers.

Table 6: Significance of difference between means of teacher effectiveness of secondary school teachers of two board viz. CBSE and MP board

Table 6 shows that MP board secondary school teachers has significantly higher teacher effectiveness compared to CBSE board secondary school teachers.

Interaction effect: table 5 showing that the 'F' values of interaction effects between occupational stress and gender, occupational stress and board and gender and board are 0.960, 1.290 and 0.066 respectively. None of these values are significant even at 0.05 level of confidence,

Table 7: Summary of 2x2x2 ANOVA showing main and interactional effects of mental health, gender and board on the teacher effectiveness of secondary school teachers.

Main effect : Table 7: Shows that the F values for mental health and board are significant at 0.01 level of confidence indicating a significance of mental health and board on teacher effectiveness of secondary school teachers. Other F value for Gender is not significant even at 0.05 levels.

Table 8: Significance of difference between means of teacher effectiveness of secondary school teachers of two groups of mental health.

Table:8: shows that high mental health of secondary school teachers has significantly higher teacher effectiveness compared to low mental health of secondary school teachers. Table: 7 shows that the F values of interaction effects between mental health, gender and board is 1.077 which is not significant even at 0.05 level of confidence

Major conclusion : Findings are: occupational stress of teachers in M.P. board schools was found to be significantly higher than the CBSE board schools; mental health of female teachers was found to be significantly higher than male teachers: M.P. board teachers was found to have significantly higher effectiveness than CBSE board teachers.;t mentally healthy teachers found to have significantly higher teacher effectiveness than mentally unhealthy teachers.

References:

Agarwal.(2012). An investigation of correlation study of teaching effectiveness and job satisfaction of higher secondary school teachers. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/

Agarwal.(2012).A study of correlation of teaching effectiveness and job satisfaction of higher secondary school teachers.

shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/38836/7/07_chapter%202.pdf

Kaur, S. (2011). 'Comparative Study of Occupational Stress among Teachers of Private and Govt. Schools in Relation to their Age, Gender and Teaching Experience' International Journal of Educational Planning & Administration.ISSN 2249-3093 Volume 1, Number 2 (2011), pp. 151-160 © Research India Publications http://www.ripublication.com/ijepa.htm

Kauts et al. (2010).

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431

International Refereed Research Journal | अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका | ISSN-0975-4431